

वार्षिक लेखा 2022-2023



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली - 110002
www.ugc.ac.com

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : दिसंबर, 2023

25 प्रतियां

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

डिजाईन एवं मुद्रण : दीया मीडिया आर्ट

: डी-41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,

: लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

: फोन: 9312550335 | ई-मेल : infodma07@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वित्तीय विवरण 2022-2023

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ
वित्तीय विवरण	
31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र	5
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	6
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते	7
अनुसूचियां और अनुलग्नक	
तुलन पत्र की अंगीभूत अनुसूचियां (1 से 8)	8-17
आय और व्यय की अंगीभूत अनुसूचियां (9 से 22)	18-34
अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक शेष (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	35-36
राजस्व व्यय अनुदान के लिए अनुलग्नक	37-55
वार्षिक खाता जीपीएफ	56-58
वार्षिक खाता एनपीएस	59-61
टिप्पणियाँ और नीतियां	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची -23)	62
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां (अनुसूची-24)	63-64
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	65-80
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां	81-104

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए

राशि (रुपये में)

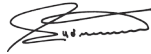
	अनुसूची	2022-2023	2021-2022
कॉर्पस/पूँजी निधि	1	(4,370,339,938)	(4,294,039,411)
नामित / निर्धारित /अक्षय निधि	2	278,336,502	160,063,585
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	11,939,782,783	9,774,575,754
कुल		7,847,779,347	5,640,599,928
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त संपत्ति		60,736,099	51,663,753
अमूर्त संपत्ति		284,166	444,688
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		656,507	-
निर्धारित / अक्षय निधि से निवेश	5		
दीर्घकालिक अवधि		522,848	1,812,051
अल्प अवधि		-	-
अन्य निवेश	6		
वर्तमान संपत्तिया	7	7,630,604,988	5,430,917,221
ऋण, अग्रिम और जमा	8	154,974,739	155,762,215
कुल		7,847,779,347	5,640,599,928
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणियाँ	24		

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आय एवं व्यय खाता 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए

राशि (रुपये में)

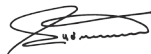
विवरण	अनुसूची	2022-2023	2021-2022
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	-	-
अनुदान/सब्सिडी	10	170,402,911,275	135,878,163,036
निवेश से आय	11	-	-
अर्जित ब्याज	12	218,843,730	306,046,452
अन्य आय	13	52,834,805	16,572,017
पूर्व अवधि की आय	14	-	-
कुल (क)		170,674,589,810	136,200,781,505
व्यय			
स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	575,001,943	1,426,455,880
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	10	169,490,266,470	135,010,763,694
शैक्षणिक व्यय	16	-	-
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	665,255,695	620,170,981
परिवहन व्यय	18	4,371,887	5,265,570
मरम्मत और रख- रखाव	19	9,568,710	16,386,205
वित्त लागत (बैंक प्रभार)	20	91,839	208,118
अन्य खर्चे	21	-	-
पूर्व अवधि के व्यय	22	15,902,122	14,702,215
मूल्यह्रास	4	13,126,265	10,196,800
कुल (ख)		170,773,584,931	137,104,149,463
शेष राशि व्यय से अधिक आय है (क -ख)		-98,995,121	-903,367,958
निर्दिष्ट निधि से/में स्थानांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट)		-	-
शेष अधिशेष/ (घाटा) होने के कारण कॉर्पस में ले जाया गया पूंजी निधि		-98,995,121	-903,367,958
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणियाँ	24		

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्राप्तियां और भुगतान खाता 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए

राशि (रुपये में)

प्राप्तियां	2022-2023	2021-2022	भुगतान	2022-2023	2021-2022
प्रारंभिक शेष			व्यय		
बैंक शेष			स्थापना व्यय	485,382,212	506,825,150
मुख्यालय के बचत बैंक खाते	5,413,048,300	6,682,278,364	प्रशासनिक व्यय	653,234,532	620,871,954
क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक बचत खाते	17,868,921	20,104,735	परिवहन व्यय	4,371,887	5,265,570
मुख्यालय के खाते में जमा राशि	1,812,051	4,691,341	मरम्मत और रख-रखाव	9,568,710	16,386,205
			वित्त लागत (बैंक प्रभार)	91,839	208,118
			पूर्व अवधि व्यय	15,902,122	14,702,215
अनुदान प्राधिकृत			चिन्हित/अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 11)	-	-
मंत्रालयों से	168,698,650,000	138,504,258,000	चिन्हित/ अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 2)	1,568,021,158	2,748,012,770
मंत्रालयों से (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	11,999,986,000	-			
विभिन्न संस्थानों से अनुदान की वापसी	4,631,199,007	2,622,932,176	अनुदान पर व्यय	169,490,266,470	135,010,763,694
चिन्हित निधि से प्राप्त राशि (अनुसूची 2)	-	-	अन्य भुगतान	-	-
अग्रिमों की वसूली (अनुसूची 7)	-	-	अचल संपत्तियाँ (अनुसूची 4)	22,694,594	5,087,936
			शिक्षा मंत्रालय को वापिस की गई राशि	2,767,350,000	4,424,509,041
			वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान समाप्त हो गया	7,852,448,176	1,918,017,899
			वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान समाप्त हो गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	2,234,352,539	-
व्याज आय			ऋण और अग्रिम	3,781,474	
बैंक के जमा	91,541,709	214,405,317			
ऋण और अग्रिम	106,975	6,069,974			
बचत बैंक खाते (अनुसूची 12)	131,763,994	89,217,287	निवेश और अग्रिम	-	-
चिन्हित/अक्षय निधि के लिए रसीद (अनुसूची 2)	1,686,294,074	2,538,021,509	जमा शेष		
			बैंक शेष		
अन्य आय (अनुसूची 13)	52,834,805	16,572,017	मुख्यालय के बचत बैंक खाते में	7,628,931,404	5,413,048,300
अन्य प्राप्तियां	13,487,712	4,829,104	क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक बचत खाते में	1,673,584	17,868,921
			जमा खातों में (अनुसूची 5)	522,848	1,812,051
कुल	192,738,593,549	150,703,379,823	कुल	192,738,593,549	150,703,379,823

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 1- कॉर्पस/पूँजीगत निधि

राशि (रुपये में)

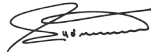
विवरण	2022-2023	2021-2022
वर्ष के शुरुआत में संतुलन	-4,294,039,411	-3,395,759,389
जमा: कॉर्पस/पूँजी निधि में योगदान	-	-
जमा: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक भारत सरकार से अनुदान	22,694,594	5,087,936
जमा: चिन्हित निधि से खरीदी गई संपत्ति	-	-
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित वर्ष के लिए घाटा/अधिशेष	-	-
जमा: एफडीआर परिपक्व यूजीसी नेट	-	-
घटा: शिक्षा मंत्रालय को राशि वापसी	-	-
घटा: जीपीएफ कॉर्पस फंड की राशि	-	-
घटा: एनपीएस कॉर्पस फंड की राशि	-	-
जमा: ऑडिट आपत्ति के अनुसार अग्रिम का समायोजन	-	-
जमा: ऑडिट आपत्ति के अनुसार समायोजन	-	-
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित व्यय पर आय की अधिकता	-98,995,121	-903,367,958
कुल	(4,370,339,938)	(4,294,039,411)
(कटौती) आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित घाटा	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	(4,370,339,938)	(4,294,039,411)

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 2 - नामित/ चिन्हित/अक्षय निधि

राशि (रुपये में)

विवरण	अक्षय निधि	अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	निधि के अनुसार ब्रेकअप				कुल	
			अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2022-2023	2021-2022	
क								
क) प्रारंभिक शेष	10,711,757	5,967,623	2,817,298	130,100,225	10,466,682	160,063,585	370,054,846	
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	516,100,000	325,900,000	420,000,000	-	1,262,000,000	2,519,497,830	
ग) निधियों से किए गए निवेश से आय	26,519	310,538	68,217	8,146,144	178,973	8,730,391	9,800,707	
घ) निवेश/अग्रिम पर अर्जित ब्याज	496,582	-	-	-	-	496,582	117,640	
ड) बचत बैंक खाते पर ब्याज	72,129	317,501	402,578	1,956,726	173,961	2,922,895	1,596,745	
च) अन्य परिवर्धन (स्वरूप निर्दिष्ट करें)		1,126,198	1,727,313	409,252,428	38,267	412,144,206	7,008,587	
कुल (क)	11,306,987	523,821,860	330,915,406	969,455,523	10,857,883	1,846,357,659	2,908,076,355	
ख.								
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय								
प) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	
पप) राजस्व व्यय	10,731,516	522,163,300	328,961,746	703,310,156	2,854,439	1,568,021,158	2,748,012,770	
कुल (ख)	10,731,516	522,163,300	328,961,746	703,310,156	2,854,439	1,568,021,158	2,748,012,770	
वर्ष के अंत में समापन शेष (क - ख)	575,471	1,658,559	1,953,660	266,145,367	8,003,444	278,336,502	160,063,585	
द्वारा प्रस्तुत								
नकद और बैंक शेष	-	25,267	26,580	25,000	62,888	139,735	25,754,787	
निवेश	522,848	1,633,292	1,927,080	266,120,367	7,940,556	278,144,143	134,039,297	
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	52,623					52,623	269,501	
कुल	575,471	1,658,559	1,953,660	266,145,367	8,003,444	278,336,502	160,063,585	

स्थान:

दिनांक :


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रा. मनष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 2ए- बंदोबस्ती निधि अक्षय निधि

राशि (रुपये में)

1. क्रम संख्या.	2अक्षय निधि नाम	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान परिवर्धन	कुल	कुल	10. वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंतिम शेष	कुल (1112)	
		3. अक्षय निधि	4. संचित व्यय	5.अक्षय निधि	6. व्यय	7. धनवापसी	8. अक्षय निधि (357)	9. संचित व्यय (46)	11. अक्षय निधि	12. संचित व्यय
1	अक्षय निधि	10,711,757		-	595,230	-	10,711,757	595,230	-19,759	575,471
2	अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	5,967,623	-	516,100,000	628,039	1,126,198	523,193,821	628,039	1,030,520	1,658,559
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,817,298	-	325,900,000	470,795	1,727,313	330,444,611	470,795	1,482,865	1,953,660
4	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	130,100,225		420,000,000	10,102,870	409,252,428	959,352,653	10,102,870	256,042,497	266,145,367
5	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	10,466,682	-	-	352,934	38,267	10,504,949	352,934	7,650,510	8,003,444
कुल		160,063,585	-	1,262,000,000	12,149,868	412,144,206	1,834,207,791	12,149,868	266,186,634	278,336,502

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्र. मनष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 3-वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

राशि (रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
वर्तमान देनदारियां		
जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति	-	-
समूह बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	-	-
जीआईएस (कर्मचारी)	-	-
लाइसेंस शुल्क	-	-
समय वर्जित चौक	-	-
ग्रेच्युटी से रोकी गई राशि	644,819	1,446,055
न्यायालय द्वारा वसूली	-	-
वाहन अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
निजी पक्षों से प्रतिभूति जमा	1,555,880	1,660,880
टैक्स/जीएसटी अभी तक जमा नहीं की गई है	3,961,808	3,988,401
एलआईसी को अंतिम भुगतान	-	410,919
एनपीएस-क्षेत्रीय कार्यालय	-	-
अप्रयुक्त अनुदान	5,623,638,681	3,573,560,258
देय ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण	4,100,239	
अक्षय निधि- अप्रयुक्त	10,731,221	
कुल (क)	5,644,632,648	3,581,066,513
विविध लेनदार	13,095,552	506,144
देय वेतन	22,054,414	18,508,564
वेतन कटौती	7,206,033	7,951,008
देय व्यय	3,787,423	4,355,668
कुल (ख)	46,143,422	31,321,384
प्रावधान		
देय अवकाश नकदीकरण	186,720,563	193,255,508
देय ग्रेच्युटी	265,021,808	275,063,121
देय पेंशन	5,796,314,342	5,693,869,228
लेखापरीक्षा शुल्क	950,000	-
कुल (ग)	6,249,006,713	6,162,187,857
कुल (कखग)	11,939,782,783	9,774,575,754

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 3 सी- भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अप्रयुक्त अनुदान

राशि (रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
अनुदान: भारत सरकार		
अग्रणीत शेष	3,573,560,258	4,672,147,994
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	168,698,650,000	138,504,258,000
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	11,999,986,000	-
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान समाप्त हो गया	7,852,448,176	1,918,017,899
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान समाप्त हो गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	2,234,352,539	-
कुल (क)	174,185,395,543	141,258,388,095
घटा: मंत्रालय को धनवापसी	2,767,350,000	4,424,509,041
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	156,006,078,807	133,255,230,860
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	9,765,633,461	-
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	22,694,594	5,087,936
कुल (ख)	168,561,756,862	137,684,827,837
अप्रयुक्त अग्रणीत (क-ख)	5,623,638,681	3,573,560,258

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 4- अचल संपत्तियाँ

राशि (रुपये में)

संपत्ति शीर्ष	कुल संपत्तियाँ				वर्ष 2022-2023 के लिए मूल्यांकन			शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 01.04.2022	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	मूल्यांकन प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यांकन	कटौती/समायोजन	31.03.2023	31.03.2022
फर्नीचर और फिक्सचर	23,053,072	66,578	-	23,119,650	14,859,078	1,443,613	-	6,816,959	8,193,994
बिजली के उपकरण	58,100,612	1,792,287	-	59,892,899	26,190,084	2,994,645	-	30,708,170	31,910,528
कंप्यूटर सहायक उपकरण	101,870,473	19,773,727	-	121,644,200	94,895,153	7,322,487	-	19,426,560	6,975,320
पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	1,689,974	3,955	-	1,693,929	1,460,124	94,822	-	138,983	229,850
मोटर गाड़ी	6,693,208	-	-	6,693,208	5,181,985	543,009	-	968,214	1,511,223
कार्यालय उपकरण	4,366,444	174,982	-	4,541,426	1,523,608	340,607	-	2,677,213	2,842,838
कुल (क)	195,773,783	21,811,529	-	217,585,312	144,110,032	12,739,183	-	60,736,099	51,663,753
पूँजीगत कार्य प्रगति पर। (ख)	-	656,505	-	656,505	-	-	-	656,507	-

अमूर्त संपत्तियाँ	कुल संपत्तियाँ				वर्ष 2022-2023 के लिए मूल्यांकन			शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 01.04.2022	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	मूल्यांकन प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यांकन	कटौती/समायोजन	31.03.2023	31.03.2022
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	741,146	226,560	-	967,706	296,458	387,082	-	284,166	444,688
ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	741,146	226,560	-	967,706	296,458	387,082	-	284,166	444,688

कुल योग (क+ख+ग)	196,514,929	22,694,594	-	219,209,523	144,406,490	13,126,265	-	61,676,772	52,108,441
-----------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------	---	------------	------------

स्थान :

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 5- चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
	चिन्हित निधि	चिन्हित निधि
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
बैंकों के पास सावधि जमा	1,812,051	4,691,341
अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	522,848	1,812,051

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 6- निवेश- अन्य

(राशि रुपये में)

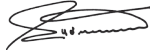
विवरण	2022-2023	2021-2022
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
4. शेयर	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 7-वर्तमान संपत्तियाँ

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
बैंक बैलेंस और निवेश-यूजीसी		
रोकड़ शेष	-	-
मुख्यालय का बचत बैंक खाता	7,628,931,404	5,413,048,300
क्षेत्रीय कार्यालय का बचत बैंक खाता	1,673,584	17,868,921
कुल	7,630,604,988	5,430,917,221

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम और जमा

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
अग्रिम एवं अन्य संपत्तियाँ		
सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास अग्रिम राशि	93,592,832	93,592,832
सरकारी संपत्तियों के साथ सुरक्षा जमा	365,356	365,356
गृह निर्माण अग्रिम	-	-
गृह निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
वाहन अग्रिम	177,571	179,821
त्यौहार अग्रिम	80,075	84,075
कंप्यूटर अग्रिम	294,709	77,709
जीवन बीमा योजना	-	-
सामूहिक बीमा योजना	-	-
लाइसेंस शुल्क-सरकारी आवास	-	-
एन.डी.एम.सी.	-	-
विविध प्राप्ति-प्रतिनियुक्ति	-	-
यूजीसी-एनपीएस वसूली	-	-
सीपीएफ खाते से प्राप्त ब्याज	-	-
बैठक एवं सम्मेलन के लिए अग्रिम	636,290	636,290
टेलीफोन के लिए अग्रिम	97,944	-
लाइसेंस शुल्क अग्रिम	-	-
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ	-	713,250
एलटीसी अग्रिम	524,119	223,174
चिकित्सा अग्रिम	448,600	2,034,000
पूर्व भुगतान बीमा	37,550	23,502
एन.आई.सी.एस.आई के साथ अग्रिम	-	-
किरोड़ीमल कॉलेज के लिए अग्रिम	15,000,000	15,000,000
विविध कार्यालय व्यय अग्रिम	25,153,609	25,042,699
प्रोपेड एएमसी	506,161	477,103
टीए/डीए आधिकारिक अग्रिम	356,000	-
प्रकाशन अग्रिम	2,365,550	2,361,550
प्रोपेड सदस्यता	177,000	-
अग्रिम सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला (एनईपी)	4,570,806	
प्रोपेड ई-गवर्नेंस इनफिलवनेट स्थापना	3,154,713	
अन्य संपत्तियाँ		
टीडीएस प्रेषण	-	-
अग्रदाय राशि अग्रिम	-	10,000
मोटर कार/मोटर साइकिल रखरखाव अग्रिम	-	-
ई-गवर्नेंस इनफिलवनेट स्थापना अग्रिम	5,821,214	9,458,495
बैंक ऑफ बड़ौदा	701,229	
अर्जित आय		
अक्षय एफडीआर पर अर्जित ब्याज	52,623	269,501
सीपीएफ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
जीपीएफ एफडीआर पर मिलने वाला ब्याज	-	-
अर्जित ब्याज	-	5,212,858
किराया उपार्जित	860,788	
कुल	154,974,739	155,762,215

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
विद्यार्थियों से शुल्क		
शैक्षिक		
1. शिक्षा शुल्क	-	-
2. प्रवेश शुल्क	-	-
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	-	-
5. प्रयोगशाला शुल्क	-	-
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	-	-
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	-	-
3. मार्कशीट, प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	-	-
2. जुर्माना/विविध शुल्क/दंड शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क	-	-
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. छात्रावास शुल्क	-	-
6. संस्थानों से प्रसंस्करण शुल्क/विनियामक शुल्क		
कुल(ग)	-	-
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री	-	-
2. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की बिक्री, आदि	-	-
3. प्रवेश प्रपत्र सहित विवरणिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	-	-



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि रुपये में)

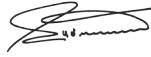
विवरण	2022-2023	2021-2022
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालय)	-	-
कुल (ड)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड)	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 10- अनुदान एवं सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान)

(राशि रुपये में)

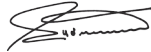
विवरण	2022-2023	2021-2022
	भारत सरकार	भारत सरकार
अग्रेनित शेष	3,573,560,258	4,672,147,994
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	168,698,650,000	138,504,258,000
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	11,999,986,000	-
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान लैप्स होना	7,852,448,176	1,918,017,899
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान लैप्स होना (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	2,234,352,539	-
जमा: वर्ष के दौरान आय	271,678,535	322,618,469
कुल	174,457,074,077	141,581,006,564
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	22,694,594	5,087,936
घटा: शिक्षा मंत्रालय को धन वापसी	2,767,350,000	4,424,509,041
जमा: अव्ययित अनुदान की वापसी	4,631,199,007	2,622,932,176
शेष	176,298,228,491	139,774,341,763
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया	159,724,633,009	135,010,763,694
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	9,765,633,461	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	1,184,323,340	1,190,017,811
अग्रेनीत शेष (सी)	5,623,638,681	3,573,560,258

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 11- निवेश से आय

(राशि रुपये में)

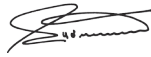
विवरण	चिन्हित/अक्षय निधि		अन्य निवेश	
	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022
ब्याज	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां पर	-	-	-	-
अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
सावधि जमा पर ब्याज	-	-	-	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
चिन्हित/अक्षय निधि में स्थानांतरित			-	-
शेष	-	-	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 12- अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

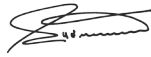
विवरण	2022-2023	2021-2022
अनुसूचित बैंकों के बचत खातों पर	124,567,386	80,979,166
अनुसूचित बैंकों के साथ फ्लेक्सी खातों पर	86,972,761	216,768,522
क्षेत्रीय कार्यालय		
सीआरओ- भोपाल	1,031,716	5,604,769
ईआरओ - कोलकाता	2,207,295	860,930
डब्ल्यूआरओ - पुणे	2,215,795	777,033
एसईआरओ-हैदराबाद	761,531	263,081
एसडब्ल्यूआरओ- बेंगलुरु	478,340	713,656
एनईआरओ गुवाहाटी	501,929	18,652
ऋण पर		
कर्मचारी/स्टाफ	106,975	60,643
अन्य (केनरा बैंक)	-	-
देनदारों और अन्य प्राप्तियां पर	-	-
कुल	218,843,730	306,046,452

स्थान:

दिनांक :



(मधु सुदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 13- अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
भूमि और भवन से आय		
छात्रावास के कमरे का किराया	-	-
लाइसेंस शुल्क (यूजीसी स्टाफ क्वार्टर)	9,360	13,520
सभागार/खेल का मैदान/ सम्मेलन केंद्र आदि का किराया प्रभार	-	-
विद्युत शुल्क वसूल किया गया	50,493	-
कुल (क)	59,853	13,520
संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवल से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा: वार्षिक समारोह/खेल कार्निवल पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
उत्सवों से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा: उत्सव पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शैक्षणिक दौरो के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा: दौरो पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	-	-
अन्य (निर्दिष्ट किया जाए और अलग से बताया जाए)	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य		
आरटीआई शुल्क	43,092	32,827
आवेदन पत्र की बिक्री (भर्ती)		-
विविध. रसीदें (निविदा प्रपत्र, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	821,140	355,670
मानित विश्वविद्यालय के लिए प्रसंस्करण शुल्क	19,500,000	16,000,000
डीईबी के लिए प्रसंस्करण शुल्क	23,109,924	-
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ	64,720	170,000
स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
निःशुल्क प्राप्त संपत्तियाँ	-	-
संस्थानों, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय से प्राप्त अनुदान/दान	-	-
संगठन	-	-
अग्रिमों पर ब्याज	437,093	
केनरा बैंक से प्राप्त किराया	7,517,563	
अन्य (निर्दिष्ट)	1,281,420	-
कुल(ग)	52,774,952	16,558,497
कुल योग (क़ख़ग)	52,834,805	16,572,017

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि की आय

(राशि रुपये में)

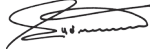
विवरण	2022-2023	2021-2022
1. शैक्षणिक प्राप्तियां	-	-
2. निवेश से आय	-	-
3. अर्जित ब्याज	-	-
4. अन्य आय	-	-
कुल	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 15- स्टाफ को भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

(राशि रुपये में)

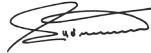
विवरण	2022-2023			2021-2022		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वेतन और मजदूरी	202,510,899	15,080,195	217,591,094	219,468,871	23,807,555	243,276,426
महंगाई भत्ता	78,523,558	6,193,912	84,717,470	61,057,456	5,919,095	66,976,551
परिवहन भत्ता	20,767,820	1,655,632	22,423,452	20,427,848	1,865,453	22,293,301
मकान किराया भत्ता	41,271,104	3,842,515	45,113,619	42,607,292	5,175,835	47,783,127
बाल शिक्षा भत्ता	3,888,000	369,734	4,257,734	3,402,000	324,677	3,726,677
समयोपरि भत्ता	25,535	-	25,535	28,364	-	28,364
यात्रा भत्ता/ अधिकारी	3,814,251	1,195,830	5,010,081	2,112,694	373,749	2,486,443
यात्रा भत्ता /स्थापना	5,518	1,459,455	1,464,973	45,889	207,396	253,285
प्रतिनियुक्ति भत्ता	81,750	-	81,750	58,500	-	58,500
एलटीसी /स्थापना	1,228,652	88,531	1,317,183	997,910	76,176	1,074,086
एलटीसी /अधिकारी	2,492,470	146,084	2,638,554	1,686,081	350,931	2,037,012
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,921,950	1,899,608	11,821,558	9,413,408	2,234,084	11,647,492
मानदेय	14,000	-	14,000	47,500	-	47,500
पेंशन एवं अवकाश वेतन योगदान	2,790,141	-	2,790,141	-	-	-
जमा लिंक बीमा	-	-	-	240,000	-	240,000
अवकाश वेतन नकदीकरण	23,593,605	103,132	23,696,737	54,942,430	319,610	55,262,040
पेंशन- सेवानिवृत्ति पर	128,773,359	-	128,773,359	919,204,484	-	919,204,484
ग्रेजुटी- सेवानिवृत्ति पर	23,264,703	-	23,264,703	50,060,592	-	50,060,592
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-
कुल	542,967,315	32,034,628	575,001,943	1,385,801,319	40,654,561	1,426,455,880

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 15 ए-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ

(राशि रुपये में)

	पेंशन	ग्रेज्युटी	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि	5,693,869,228	275,063,121	193,255,508	6,162,187,857
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान का पूंजीकृत मूल्य	-	-	-	-
कुल (क)	5,693,869,228	275,063,121	193,255,508	6,162,187,857
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	333,796,982	33,306,016	30,231,682	397,334,680
31.03.2022 तक उपलब्ध शेष राशि ग = (क-ख)	5,360,072,246	241,757,105	163,023,826	5,764,853,177
बीमांकिक मूल्यांकन (डी) के अनुसार 31.03.2023 को आवश्यक प्रावधान	5,796,314,342	265,021,808	186,720,563	6,248,056,713
क) वर्तमान वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (डी-सी)	436,242,096	23,264,703	23,696,737	483,203,536
ख) नई पेंशन योजना में योगदान	-	-	-	-
ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ) सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा	-	-	-	-
ड) जमा लिंकड बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (कखगघड)	436,242,096	23,264,703	23,696,737	483,203,536

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 16- शैक्षणिक व्यय

(राशि रुपये में)

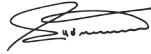
विवरण	2022-2023	2021-2022
क) प्रयोगशाला व्यय	-	-
ख) क्षेत्रीय कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी	-	-
ग) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-	-
घ) विजिटिंग संकाय को भुगतान	-	-
ङ) सीएमएटी और जीपीएटी की परीक्षा	-	-
च) छात्र कल्याण व्यय	-	-
छ) प्रवेश व्यय	-	-
ज) दीक्षांत समारोह का खर्च	-	-
झ) प्रकाशन	-	-
ञ) वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	-
ट) सदस्यता व्यय	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023			2021-2022		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
आधारभूत संरचना						
बिजली और पानी पर व्यय	12,215,099	920,008	13,135,107	20,286,972	672,420	20,959,392
किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)	5,505,900	106,791	5,612,691	4,835,616	128,923	4,964,539
संचार						
डाक	556,048	155,206	711,254	1,186,221	365,074	1,551,295
टेलीफोन व्यय	3,816,376	234,870	4,051,246	6,417,006	194,356	6,611,362
अन्य						
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	3,265,494	182,132	3,447,626	3,962,315	217,384	4,179,699
कंप्यूटर व्यय	1,431,764	-	1,431,764	2,435,124	-	2,435,124
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,332,693	1,295,465	3,628,158	1,121,210	69,300	1,190,510
विज्ञापन	2,761,914	10,658	2,772,572	2,863,525	24,862	2,888,387
प्रकाशन	274,155	275,000	549,155	1,070,889	-	1,070,889
पत्रिकाएँ एवं अखबार	897,343	20,937	918,280	852,033	14,526	866,559
टीए/डीए गैर आधिकारिक	3,802,270	228,959	4,031,229	2,453,384	125,488	2,578,872
मानदेय गैर आधिकारिक	2,796,500	-	2,796,500	3,004,000	-	3,004,000
सुरक्षा एवं सफाई व्यय	20,911,821	463,584	21,375,405	18,331,944	588,796	18,920,740
विविध कार्यालय व्यय	8,719,221	2,446,084	11,165,305	3,752,251	1,547,039	5,299,290
मनोरंजन व्यय	3,085,933	107,538	3,193,471	2,727,781	376,038	3,103,819
हितकारी निधि	-	-	-	183,150	50,000	233,150
विधि व्यय	29,070,383	15,456	29,085,839	16,003,035	27,638	16,030,673
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ व्यय	20,088,396	-	20,088,396	24,544,775	-	24,544,775
रैगिंग रोधी अभियान	-	-	-	-	-	-
गृह-व्यवस्था व्यय	7,443,347	52,175	7,495,522	5,241,567	-	5,241,567
पोशाक और वर्दी	278,905	-	278,905	285,197	-	285,197
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	105,817,076	18,926,510	124,743,586	102,868,555	24,236,015	127,104,570
भर्ती व्यय	-	-	-	13,948,942	-	13,948,942
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	85,680	-	85,680	1,688,873	-	1,688,873
सीजीएचएस योगदान सीजीएचएस को किया गया भुगतान	6,711,279	4,602	6,715,881	6,138,385	-	6,138,385
नई पेंशन योजना (यूजीसी अंशदान)	10,391,372	1,693,555	12,084,927	8,277,380	2,005,147	10,282,527
स्टाडपेंडियम हंगारिकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	1,663,380	-	1,663,380	1,269,058	-	1,269,058
आरओ सदस्यों को मानदेय	-	-	-	-	-	-
गैर आर ओ सदस्यों को मानदेय	-	32,500	32,500	-	114,875	114,875
सदस्यता और अंशदान	40,120	-	40,120	286,390	-	286,390
प्रशिक्षण (यूजीसी अधिकारी/कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक शुल्क	4,118,019	-	4,118,019	7,214,956	-	7,214,956
संस्थानों को प्रसंस्करण शुल्क वापसी	-	-	-	-	-	-
आईटी सहायता शुल्क	-	-	-	-	-	-
स्वयं ई-सामग्री	-	-	-	-	-	-
चिकित्सा प्रतिपूर्ति-पूर्व कर्मचारी	26,822,372	-	26,822,372	23,178,716	-	23,178,716
पेंशन-मासिक	307,468,737	-	307,468,737	285,409,204	-	285,409,204
यूकेरी ई-मोबिलिटी कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-
ई-गवर्नेंस इम्प्लिमेंटेशन स्थापना	15,084,935	-	15,084,935	10,737,505	-	10,737,505
ई-गवर्नेंस	-	-	-	969,273	-	969,273
ई-सामग्री विकास (स्थापना)	-	-	-	120,116	-	120,116
सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला (एनईपी)	22,068,538	-	22,068,538	-	-	-
शासन में नवाचार (स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एनईपी))	3,892,000	-	3,892,000	-	-	-
कुल	633,417,070	27,172,030	660,589,100	583,665,348	30,757,881	614,423,229


(मधु सुदन जोशी)
अवर सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- एनएडी और आईओई

(राशि रुपये में)

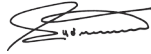
विवरण	2022-2023			2021-2022		
	एनएडी	आईओई	कुल	एनएडी	आईओई	कुल
मानदेय	-	-	-	-	-	-
टेलीफोन व्यय	1,337	-	1,337	-	-	-
टीए/डीए गैर आधिकारिक	-	7,151	7,151	-	-	-
विविध कार्यालय व्यय	-	547,106	547,106	-	-	-
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	2,352,204	1,750,697	4,102,901	3,358,115	2,365,337	5,723,452
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	-	-	-	-	-	-
बैंक प्रभार	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	-	-	-	-	-	-
मनोरंजन व्यय	-	-	-	-	-	-
टीए/डीए आधिकारिक	-	-	-	-	-	-
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	8,100	-	8,100	24,300	-	24,300
कुल	2,361,641	2,304,954	4,666,595	3,382,415	2,365,337	5,747,752
कुल योग			665,255,695			620,170,981

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 18- परिवहन व्यय

(राशि रुपये में)

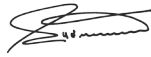
विवरण	2022-2023			2021-2022		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वाहन (संस्था के स्वामित्व में)						
संचालन व्यय	2,081,164	-	2,081,164	2,023,228	-	2,023,228
मरम्मत और रख-रखाव	424,476	-	424,476	417,743	-	417,743
बीमा व्यय	91,667	-	91,667	90,356	-	90,356
कार पार्किंग व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन व्यय	-	-	-	-	-	-
किराये/पट्टे पर लिए गए वाहन						
किराया/पट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	1,522,535	-	1,522,535	2,506,340	-	2,506,340
मोटर कार/मोटर साइकिल रख-रखाव	90,436	161,609	252,045	152,083	75,820	227,903
कुल	4,210,278	161,609	4,371,887	5,189,750	75,820	5,265,570

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 19- मरम्मत एवं रख- रखाव

(राशि रुपये में)

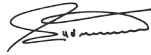
विवरण	2022-2023			2021-2022		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
कार्यालय	5,884,571	26,000	5,910,571	12,215,846	34,242	12,250,088
फर्नीचर और फिक्सचर्स	472,479	-	472,479	213,803	-	213,803
प्लान्ट और मशीनरी	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
कंप्यूटर्स	-	-	-	-	-	-
फोटोकॉपी मशीन	66,888	-	66,888	176,540	-	176,540
श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-
सफाई सामग्री एवं सेवाएँ	-	-	-	-	-	-
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	3,118,772	-	3,118,772	3,734,149	11,625	3,745,774
बागवानी	-	-	-	-	-	-
संपदा रख-रखाव	-	-	-	-	-	-
अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-
कुल	9,542,710	26,000	9,568,710	16,340,338	45,867	16,386,205

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 20- वित्त लागत

(राशि रुपये में)

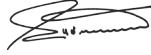
विवरण	2022-2023			2021-2022		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
बैंक प्रभार	19,750	72,089	91,839	89,833	118,284	208,118
बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस	-	-	-	-	-	-
कुल	19,750	72,089	91,839	89,833	118,284	208,118

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 21- अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
क) अशोध और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
ख) अपूरणीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
ग) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी	-	-
घ) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 22- पूर्व अवधि के व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-2023	2021-2022
आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन	9,037,949	7,106,979
व्यावसायिक शुल्क	307,536	323,548
लाइसेंस शुल्क	-	-
किराया, दरें और कर	-	-
मरम्मत और रख-रखाव	48,722	-
विविध कार्यालय व्यय	2,130,258	3,551,319
विज्ञापन व्यय	-	-
रैगिंग रोधी	1,277,667	-
मनोरंजन व्यय	113,649	-
हाउस कीपिंग व्यय	609,263	872,093
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	-	-
सुरक्षा एवं सफाई व्यय	1,676,280	1,644,467
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	41,577	840,132
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	377,479	168,390
वाहन व्यय	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	220,762	195,287
अन्य व्यय	60,980	-
कुल	15,902,122	14,702,215

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

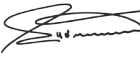
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक शेष 2022-2023

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक - 8627101000348	यूजीसी-स्थापना एवं प्रशासन व्यय	15,33,24,203	12,56,96,661
2	केनरा बैंक - 8627101001130	ई-सामग्री	-	30,01,84,065
3	केनरा बैंक - 3525101000402	पोस्टडॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति एससी/एसटी के लिए	29,443	63,732
4	केनरा बैंक - 3525101000403	एससीधएसटी ए/सी के लिए पीजी छात्रवृत्ति व्यावसायिक पाठ्यक्रम	18,26,123	61,98,495
5	केनरा बैंक - 3525101000404	यूनिवर्सिटी बैंक के लिए पीजी छात्रवृत्ति	20,29,192	25,10,796
6	केनरा बैंक - 3525101000762	सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एमेरिटस अध्येतावृत्ति	48,87,087	49,29,879
7	केनरा बैंक - 3525101000763	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	38,532	461,460
8	केनरा बैंक - 3525101000764	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान नेट में जेआरएफ	12,57,96,839	40,83,66,730
9	केनरा बैंक - 3525101000820	डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	2,12,93,435	41,96,143
10	केनरा बैंक - 3525101000407	एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	16,99,859	23,61,148
11	केनरा बैंक - 3525101000839	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति	1,19,764	2,91,356
12	केनरा बैंक - 3525101000915	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका छात्रवृत्ति	2,21,034	6,95,000
13	केनरा बैंक - 3525101000918	एनईआर के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति	1,33,56,909	2,90,67,947
14	केनरा बैंक - 3525101000907	डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्टडॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति	1,543	48,600
15	केनरा बैंक - 3525101000405	आरजीएनएफ-एससी	26,61,45,367	13,01,00,225
16	केनरा बैंक - 3525101000406	आरजीएनएफ-एसटी	80,03,444	1,04,66,682
17	केनरा बैंक - 3525101000880	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	19,53,660	28,17,298
18	केनरा बैंक - 3525101000181	एमएएनएफ - अल्पसंख्यक	16,58,559	59,67,622
19	केनरा बैंक - 0157101021093	अक्षय कोष	-	86,30,205
20	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022849	सीयू-एनईआर-एससी	-	5,05,94,213
21	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022850	सीयू-एनईआर-एसटी	-	3,03,16,739
22	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022853	सीयू-एनईआर-सामान्य	55,31,10,175	37,11,35,101
23	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003357	सीयू-एसटी	-	2,42,07,305
24	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003355	सीयू-सामान्य	88,22,21,958	84,17,87,216
25	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003356	सीयू-एससी	-	5,91,42,789
26	केनरा बैंक - 8627101002051	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	6,26,25,614	5,07,21,632
27	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 3481469799	डीयू-एससी	-	78,78,786
28	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 3481469846	डीयू-सामान्य	-	4,14,60,853
29	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 3481470363	डीयू-एसटी	-	81,81,806
30	केनरा बैंक - 8627101002122	यूजीसी-सामान्य	3,57,57,31,010	1,97,49,36,562
31	केनरा बैंक - 8627101002123	यूजीसी-एससी	7,13,43,372	7,32,99,033
32	केनरा बैंक - 8627101002124	यूजीसी-एसटी	13,12,74,671	5,05,56,877
33	केनरा बैंक - 8627101002244	एनएडी	2,70,96,099	2,92,23,949
34	केनरा बैंक - 3525101001240	एमई/एम.टेक/एम.फार्मा से जीटीई/जीपीएटी योग्य उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर अनुसूची	1,49,571	42,36,212
35	केनरा बैंक - 3525101001241	बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	50,11,337	10,15,886
36	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286126815	एनईआर-सामान्य	90,05,22,946	8,07,26,246
37	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286127693	एनईआर-एससी	3,80,41,000	42,82,665
38	केनरा बैंक - 8627101002314	प्रतिष्ठित संस्थान	69,09,74,542	66,18,55,414
39	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286128018	एनईआर-एसटी	5,50,45,460	41,05,027
40	केनरा बैंक - 8627101002502	रैगिंग रोधी	1,10,56,966	3,29,947
41	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671201001	टीएसए	-	-
42	केनरा बैंक - 110047198540	यूजीसी-डीईबी गेटवे खाता	2,23,40,424	-
43	आईसीआईसीआई - 000701271731	एनएमईआईसीटी	1,268	-
44	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671201002	टीएसए	-	-
	कुल योग		7,62,89,31,404	5,41,30,48,300


(मधु सुदन जोशी)
अवर सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक शेष 2022-2023

क्षेत्रीय कार्यालय-लेखा

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक - 0606101053069	एसईआरओ -हैदराबाद	-	10,000
2	केनरा बैंक - 0606101558263	एसईआरओ -हैदराबाद	-	590,434
3	केनरा बैंक - 0606101560057	एसईआरओ -हैदराबाद	-	10,000
4	केनरा बैंक - 0606101560058	एसईआरओ -हैदराबाद	-	10,000
5	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301164	एसईआरओ -हैदराबाद	-	-
6	केनरा बैंक - 0262101020153	डब्ल्यूआरओ -पुणे	-	2,570,766
7	बैंक ऑफ बड़ौदा - 98060100001024	डब्ल्यूआरओ -पुणे	-	1,166,054
8	केनरा बैंक - 0262101060498	डब्ल्यूआरओ -पुणे	-	104,171
9	केनरा बैंक - 0262101060500	डब्ल्यूआरओ -पुणे	-	16,795
10	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301166	डब्ल्यूआरओ -पुणे	-	-
11	केनरा बैंक - 31222235725	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	2,934,663
12	भारतीय स्टेट बैंक- 33916458208	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	604,112
13	भारतीय स्टेट बैंक - 35909765460	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	442,647
14	भारतीय स्टेट बैंक - 35909724423	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	221,291
15	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301219	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	-
16	पंजाब नेशनल बैंक - 1625000100953235	ईआरओ-कोलकाता	-	1,360,465
17	केनरा बैंक - 2549101011380	ईआरओ-कोलकाता	-	5,292,667
18	केनरा बैंक - 2549101016202	ईआरओ-कोलकाता	-	10,000
19	केनरा बैंक- 2549101016203	ईआरओ-कोलकाता	-	10,000
20	केनरा बैंक - 2549101016204	ईआरओ-कोलकाता	-	10,000
21	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301165	ईआरओ-कोलकाता	-	-
22	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 1101717823	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	22,088	527,283
23	केनरा बैंक - 0431101033961	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	-	1,746,450
24	केनरा बैंक - 0431101207736	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	-	9,984
25	केनरा बैंक - 0431101207737	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	-	4,583
26	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301163	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	-	-
27	केनरा बैंक - 1471101007601	सीआरओ-भोपाल	-	191,780
28	केनरा बैंक - 1471101007602	सीआरओ-भोपाल	-	15,781
29	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 527102010003371	सीआरओ-भोपाल	1,651,495	7,353
30	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 527102010314844	सीआरओ-भोपाल	-	1,642
31	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301167	सीआरओ-भोपाल	-	-
	कुल		1,673,584	17,868,921
	कुल योग		7,630,604,988	5,430,917,221

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विभिन्न संस्थानों के लिए सहायता अनुदान का भुगतान 2022-2023

(राशि रुपये में)

लेखा शीर्ष	योजना	मंत्रालय	राशि
राजस्व पूंजी शीर्ष (1, 2, 3, 4)	राजस्व पूंजी निधि (यूजीसी मुख्यालय एवं आर.ओ.)	शिक्षा मंत्रालय	169,490,266,470
कुल योग			169,490,266,470

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी उपयोग क्षेत्रवार (1-9)

(राशि रुपये में)

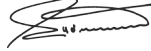
क्षेत्र	विवरण	राशि-31, 35, 36
क्षेत्र- 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	105,910,438,338
क्षेत्र- 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	3,906,388,370
क्षेत्र- 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	49,807,806,301
क्षेत्र- 4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि	9,865,633,461
क	एचआरडी का कुल(1, 2, 3, 4)	169,490,266,470
क्षेत्र- 5	एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	703,310,156
क्षेत्र- 6	एसटी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,854,439
क्षेत्र -7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	522,163,300
क्षेत्र - 9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	328,961,746
ख	कुल (5, 6, 7, 9)	1,557,289,641
(कख)	कुल योग	171,047,556,111

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी शीर्ष (सेक्टर 1 से 9)

(राशि रुपये में)

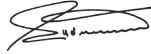
क्षेत्र	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र - 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	34,803,719,853	6,129,021,249	64,977,697,236	105,910,438,338
क्षेत्र - 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	550,000,000	-	3,356,388,370	3,906,388,370
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	25,085,677,642	916,505,875	23,805,622,784	49,807,806,301
क्षेत्र - 4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि	2,019,263,935	7,846,369,526	-	9,865,633,461
क्षेत्र - 5	एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	703,310,156	-	-	703,310,156
क्षेत्र - 6	एसटी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,854,439	-	-	2,854,439
क्षेत्र - 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	522,163,300	-	-	522,163,300
क्षेत्र - 9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	328,961,746	-	-	328,961,746
	कुल	64,015,951,071	14,891,896,650	92,139,708,390	171,047,556,111

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र-1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान				
1(क)	केंद्रीय विश्वविद्यालय	24,860,661,566	3,444,956,193	49,233,528,196	77,539,145,955
1(ख)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एससी	2,431,570,187	188,190,290	4,112,576,252	6,732,336,729
1(ग)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एसटी	1,548,870,979	95,385,703	2,064,072,147	3,708,328,829
1(घ)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर	3,110,663,468	1,614,269,175	7,816,628,327	12,541,560,970
1(ङ)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर -एससी	503,025,665	120,696,488	609,951,593	1,233,673,746
1(ड)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर -एसटी	164,006,673	58,537,816	330,191,095	552,735,584
1(च)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-सामान्य	1,892,995,475	236,600,000	709,800,000	2,839,395,475
1(छ)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एससी	140,000,000	17,500,000	52,500,000	210,000,000
1(ज)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एसटी	66,999,955	8,393,860	25,200,000	100,593,815
1(झ)	एपी-सामान्य का सीयू	53,982,200	53,652,000	7,972,573	115,606,773
1(ञ)	एपी-एससी का सीयू	3,944,500	4,236,000	277,053	8,457,553
1(ट)	एपी-एसटी का सीयू	1,999,185	2,112,000	-	4,111,185
1(ठ)	एपी और तेलंगाना जनजातीय के सीयू विश्वविद्यालय-सामान्य	22,100,000	33,006,663	13,300,000	68,406,663
1(ड)	एपी और तेलंगाना जनजातीय के सीयू विश्वविद्यालय-एससी	2,000,000	514,879	1,200,000	3,714,879
1(ड)	एपी और तेलंगाना जनजातीय के सीयू विश्वविद्यालय-एसटी	900,000	970,182	500,000	2,370,182
1(ढ) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-सामान्य	-	-	-	-
1(ढ) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एससी	-	-	-	-
1(ढ) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	-	-	-
1(ण) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-सामान्य	-	226,143,000	-	226,143,000
1(ण) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-एससी	-	15,786,000	-	15,786,000
1(ण) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	8,071,000	-	8,071,000
	कुल (क)	34,803,719,853	6,129,021,249	64,977,697,236	105,910,438,338
सेक्टर-2	मानित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान				
2(क)	मानित विश्वविद्यालय	497,000,000	-	3,029,388,370	3,526,388,370
2(ख)	मानित विश्वविद्यालय-एससी	35,000,000	-	215,000,000	250,000,000
2(ग)	मानित विश्वविद्यालय-एसटी	18,000,000	-	112,000,000	130,000,000
	कुल (ख)	550,000,000	-	3,356,388,370	3,906,388,370
सेक्टर-3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान				
3(क)					
3(क) 1	प्रशासन. यूजीसी	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(क) 3(I)	आईयूसी/एमसी	576,933,948	461,049,849	673,705,911	1,711,689,708
3(क) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	142,049,783	4,300,000	411,187,316	557,537,099
3(क) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	33,223,343	-	19,348,000	52,571,343
3(क) 3(V)	विषय थीसिस का चुनाव (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(क)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रख- रखाव अनुदान	-	-	-	-
3(क) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	6,674,974,183	-	14,616,291,937	21,291,266,120
3(क) 5(II)	बी एच यू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	98,453,571	-	557,488,100	655,941,671
3(क) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के अलावा अन्य	-	-	-	-
3(क)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय का रख-रखाव	-	-	2,155,205,256	2,155,205,256
3(क) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	148,780,827	-	148,780,827
3(क) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(क) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(क) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(क)(8) ईजी	समान अवसर प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(क)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(क)(8)(I) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(क)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(क)(8)(II) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(क)(8)(III)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(क)(8)(III) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(क)(8)(IV)	एससी/एसटी के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(क)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	6,654,428	-	-	6,654,428

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क)(8)(VI)	युग प्रवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(क)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के लिए अध्ययन केंद्र	354,467	-	-	354,467
3(क)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ	-	-	-	-
3(क)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(क)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(क) 9	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	65,426,951	-	-	65,426,951
3(क) 9 ईजी	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	3,642,817	-	-	3,642,817
3(क) 10	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए खेल अवसंरचना विकास और उपकरण	-	1,140,000	-	1,140,000
3(क) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(क) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	-	-	-	-
3(क) 11(II) ईजी	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	468,594	-	-	468,594
3(क) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(क) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	13,358,238	-	-	13,358,238
3(क) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	158,980	-	-	158,980
3(क) 12(II) ईजी	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	124,795	-	-	124,795
3(क) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय/एचआरडीसी/एचआरवीई	185,708,260	-	-	185,708,260
3(क) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	4,723,867	4,914,989	-	9,638,856
3(क) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मान. विकी और सामाजिक विज्ञान	7,082,788	230	-	7,083,018
3(क) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	3,221,298	2,309,473	-	5,530,771
3(क) 14(III) ईजी	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	3,674,197	2,803,538	-	6,477,735
3(क) 14(IV)	मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव ट्रांस-अनुशासनात्मक अनुसंधान	-	-	-	-
3(क) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	58,184,004	-	-	58,184,004
3(क) 16(II)	एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	139,067,119	-	-	139,067,119
3(क) 16(III)	एमेरिटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	11,582	-	-	11,582
3(क) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क) 16(IV) ईजी	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	24,323,356	-	-	24,323,356
3(क) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	1,388,537	-	-	1,388,537
3(क) 16(V) EG	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति	1,384,894	-	-	1,384,894
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	8,771,728,732	-	-	8,771,728,732
3(क) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	232,538	-	-	232,538
3(क) 16(VII)	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका संतान अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	62,818,747	-	-	62,818,747
3(क) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	266,053,144	-	-	266,053,144
3(क) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(क) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) के लिए अनुदान (ऑनलाइन योजना)	438,809,834	-	-	438,809,834
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	54,197,277	-	-	-
3(क) 16(X) EG	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(क) 16(XI)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	-	-	-	-
3(क) 16(XII)	गेट योग्य छात्रों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति	290,026	-	-	290,026
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	106,085,843	-	-	106,085,843
3(क) 16(XIII)	विदेशी नागरिकों को कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति और आरए	-	-	-	-
3(क) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
3(क) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(क) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	2,876,027	-	-	2,876,027
3(क) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	40,782,866	-	-	40,782,866

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क) 17(II)ईजी	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(क) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	2,164,574	-	-	2,164,574
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	2,615,778	-	-	2,615,778
3(क) 17(III) ईजी	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	2,926,800	-	-	2,926,800
	“				
(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान“	953,096	-	-	953,096	
3(क) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएँ (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(क) 18	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(क) 18 EG	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	25,855,957	22,813,623	-	48,669,580
3(क) 18(II)	परामर्श	-	-	-	-
3(क) 18(II) ईजी	परामर्श	8,202,611	-	-	8,202,611
3(क) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(क) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(क) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
3(क) 19(IV)	राजभाषा	-	3,750,000	-	3,750,000
3(क) 19(V)	यात्रा अनुदान	113,807	-	-	113,807
3(क) 19(V) ईजी	यात्रा अनुदान	2,254,460	-	-	2,254,460
3(क) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(क) 19(VII)	पिहेड(पीआईएचईएडी)	-	-	-	-
3(क) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
	आरओ	519,500			519,500
3(क) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	159,959	-	-	159,959
3(क) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(क) 19(XI)	कार्यशालाएँ/समिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	300,000	-	-	300,000
3(क) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	9,076	-	9,076
3(क) 19(XIII)	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-
3(क) 19(XIII) ईजी	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(क) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों, यूजीसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(क) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(क) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(क) 19(XIX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	16,648,706	-	-	16,648,706
3(क) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(क) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(क) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(क) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	61,670	-	-	61,670
3(क) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएँ)	2,733,898	71,105,837	-	73,839,735
	आरओ	-	-	-	-
3(क) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएँ) ईजी	-	-	-	-
3(क) 19(XXV)	जर्नल/देखभाल योजना	7,500,000	-	-	7,500,000
3(क) 20	एनईपी कार्यान्वयन (यूबीए)	3,874,661	-	-	3,874,661
	कुल	17,865,354,511	722,977,442	18,433,226,520	37,021,558,473
3(क)-ऑनलाइन योजनाएँ		9,482,702,342	-	-	9,482,702,342
3(क)-आरओ		519,500	-	-	519,500
3(क)-ईजी		49,488,221	25,617,161	-	75,105,382
	उप योग	8,332,644,448	697,360,281	18,433,226,520	27,463,231,249
3(ख)					
3(ठ) 1	प्रशासन. यूजीसी	-	-	-	-
3(ख)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(ख) 3(I)	आईयूसी/एमसी	91,202,727	52,100,000	160,001,000	303,303,727
3(ख) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	16,739,703	750,000	33,444,668	50,934,371
3(ख) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	1,514,000	-	293,000	1,807,000
3(ख) 3(V)	विषय थीसिस का चुनाव (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(ख)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	1,167,481,716	-	2,886,794,185	4,054,275,901
3(ख) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	10,445,702	-	86,623,558	97,069,260
3(ख) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान के अलावा अन्य	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रख-रखाव	-	-	417,136,500	417,136,500
3(ख) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान	-	71,231,245	-	71,231,245
3(ख) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(ख) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लाक अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(ख)(8) ईजी	समान अवसर प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(ख)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(ख)(8)(I) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(ख)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(ख)(8)(II) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(ख)(8)(III)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(ख)(8)(III) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(ख)(8)(IV)	एससी/एसटी के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(ख)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	851,769	-	-	851,769
3(ख)(8)(VI)	युग प्रवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(ख)(8)(VI) ईजी	युग प्रवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(ख)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति का अध्ययन केंद्र	-	-	-	-
3(ख)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ	-	-	-	-
3(ख)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(ख)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(ख) 9	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	12,505,160	-	-	12,505,160

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख) 9 ईजी	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	686,908	-	-	686,908
3(ख) 10	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए खेल अवसंरचना विकास और उपकरण	-	240,000	-	240,000
3(ख) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(ख) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	-	-	-	-
3(ख) 11(II) ईजी	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	-	1,440,000	-	1,440,000
3(ख) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(ख) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(ख) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	114,973	-	-	114,973
3(ख) 13	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	39,835,103	-	-	39,835,103
3(ख) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	409,117	226,735	-	635,852
3(ख) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मान. विकी और सामाजिक विज्ञान	417,204	48	-	417,252
3(ख) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	624,000	366,107	-	990,107
3(ख) 14(III) ईजी	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	540,695	582,219	-	1,122,914
3(ख) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(II)	एकल कन्या बालिका के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(III)	एमेरिटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	1,976,079,412	-	-	1,976,079,412
3(ख) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(VII)	स्वामी विवेकानन्द एकल कन्या बालिका अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	372,200	-	-	372,200
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	17,470,379	-	-	17,470,379
3(ख) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) के लिए अनुदान (ऑनलाइन योजना)	7,639,462	-	-	7,639,462
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(XI)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	94,789,870	-	-	94,789,870
3(ख) 16(XII)	गेट योग्य छात्रों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	145,013	-	-	145,013
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ख) 16(XIII)	विदेशी नागरिकों को कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति और आरए	-	-	-	-
3(ख) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति।	-	-	-	-
3(ख) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(ख) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	-	-	-	-
3(ख) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(ख) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	411,561	-	-	411,561
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	30,000	-	-	30,000
3(ख) 17(III) ईजी	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	388,136	-	-	388,136
3(ख) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएँ (कॉलेज)	-	-	-	-
3(ख) 18	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(ख) 18 ईजी	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(ख) 18(II) ईजी	परामर्श	-	-	-	-
3(ख) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(ख) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(ख) 19(ट)	यात्रा अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(ख) 19(VII)	पिहेड (पीआईएचईएडी)	-	-	-	-
3(ख) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
3(ख) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष	-	-	-	-
3(ख) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(ख) 19(XI)	कार्यशालाएँ/सेमिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(ख) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	-	-	-
3(ख) 19(XIII)	कैरियर परामर्श कक्ष सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-
3(ख) 19(XIII)	कैरियर परामर्श कक्ष सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-
3(ख) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(ख) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(ख) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों, यूजीसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(ख) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(ख) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(ख) 19(XIX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	-	-	-	-
3(ख) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(ख) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(ख) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(ख) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएँ)	272,593	8,460,000	-	8,732,593
					-
	कुल	3,440,967,403	135,396,354	3,584,292,911	7,160,656,668
3(ख)-ऑनलाइन योजनाएँ		2,088,339,661	-	-	2,088,339,661
3(ख)-आरओ		-	-	-	-
3(ख)-ईजी		1,615,739	2,022,219	-	3,637,958
	उप योग	1,351,012,003	133,374,135	3,584,292,911	5,068,679,049
3(ग)					

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ग) 1	प्रशासन. यूजीसी	-	-	-	-
3(ग) (2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(ग) 3(I)	आईयूसी/एमसी	66,894,595	26,500,000	115,050,940	208,445,535
3(ग) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	12,089,066	450,000	14,473,092	27,012,158
3(ग) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	1,098,139			1,098,139
3(ग) 3(V)	वैकल्पित थीसिस का विषय (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(ग)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	633,142,944	-	1,409,051,330	2,042,194,274
3(ग) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	5,303,153	-	40,959,747	46,262,900
3(ग) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान के अलावा अन्य	-	-		-
3(ग)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय का रख-रखाव	-	-	208,568,244	208,568,244
3(ग) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉकअनुदान	-	13,662,061	-	13,662,061
3(ग) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(ग) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(ग)(8)ईजी	समान अवसर प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(ग)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(ग)(8)(I) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(ग)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(ग)(8)(II) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	-	-	-	-
3(ग)(8)(III)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(ग)(8)(III) ईजी	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(ग)(8)(IV)	एससी/एसटी के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(ग)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	648,627	-	-	648,627

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ग)(8)(VI)	युग निर्माण सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(ग)(8)(VI) ईजी	युग निर्माण सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(ग)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति का अध्ययन केंद्र	-	-	-	-
3(ग)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ	-	-	-	-
3(ग)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(ग)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(ग) 9	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	6,252,581	-	-	6,252,581
3(ग) 9 ईजी	महिला अध्ययन केंद्र/महिला शिक्षण	343,456	-	-	343,456
3(ग) 10	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए खेल अवसंरचना विकास और उपकरण	-	120,000	-	120,000
3(ग) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(ग) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	-	-	-	-
3(ग) 11(II) ईजी	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	149,244	720,000	-	869,244
3(ग) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(ग) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(ग) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
3(ग) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय/एचआरडीसी/एचआरवीई	19,649,393	-	-	19,649,393
3(ग) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	230,705	113,367	-	344,072
3(ग) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मान. वीकी और सामाजिक विज्ञान	183,111	24	-	183,135
3(ग) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास (घटक-1)	312,000	183,114	-	495,114
3(ग) 14(III) ईजी	अनुसंधान क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास (घटक-1)	270,348	291,109	-	561,457
3(ग) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(II)	एकल कन्या बालिका के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(III)	एमेरिटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(V)	कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	1,099,499,281	-	-	1,099,499,281
3(ग) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(VII)	स्वामी विवेकानन्द एकल कन्या बालिका अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठरी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	3,688,186	-	-	3,688,186
3(ग) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) के लिए अनुदान (ऑनलाइन योजना)	200,000	-	-	200,000
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(XI)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	-	-	-	-
3(ग) 16(XII)	गेट योग्य छात्रों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ग) 16(XIII)	विदेशी नागरिकों को कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति और आरए	-	-	-	-
3(ग) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
3(ग) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(ग) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	48,442	-	-	48,442
3(ग) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(ग) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(ग) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएँ (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(ग) 18	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ग) 18 ईजी	उच्चतर शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(ग) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(ग) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
3(ग) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(ग) 19(V)	यात्रा अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(ग) 19(VII)	पिहेड(पीआईएचईएडी)	-	-	-	-
3(ग) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
3(ग) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(ग) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(ग) 19(XI)	कार्यशालाएँ/सेमिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(ग) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	-	-	-
3(ग) 19(XIII)	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ सहित शिक्षा के लिए कैरियर उन्मुखीकरण	-	-	-	-
3(ग) 19(XIII)	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ सहित शिक्षा के लिए कैरियर उन्मुखीकरण	-	-	-	-
3(ग) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(ग) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(ग) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों, यूजीसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(ग) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(ग) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(ग) 19(XIX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	-	-	-	-
3(ग) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(ग) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(ग) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(ग) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएँ)	136,297	4,605,200	-	4,741,497
	कुल	1,850,139,568	46,644,875	1,788,103,353	3,684,887,796

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ग)-ऑनलाइन योजनाएँ		1,103,187,467	-	-	1,103,187,467
3(ग)-आरओ		-	-	-	-
3(ग)-ईजी		763,048	1,011,109	-	1,774,157
	उप योग	746,189,053	45,633,766	1,788,103,353	2,579,926,172
3(ग)	एनईआर के लिए विशेष घटक				
3(ग)	यूजीसी (एनईआर) प्रधान कार्यालय	53,026,889	904,829	-	53,931,718
	ईजी	40,054,575	9,887,210	-	49,941,785
	एनईआरओ	-	-	-	-
	ऑनलाइन	1,353,061,368	-	-	1,353,061,368
	उप योग	1,446,142,832	10,792,039	-	1,456,934,871
3(E)	एनईआर-एससी के लिए विशेष घटक				
3(E)	यूजीसी (एनईआर) एससी प्रधान कार्यालय	6,774,072	188,182	-	6,962,254
	ईजी	1,970,911	272,000	-	2,242,911
	एनईआरओ	-	-	-	-
	ऑनलाइन	302,100,000	-	-	302,100,000
	उप योग	310,844,983	460,182	-	311,305,165
3(F)	एनईआर-एसटी के लिए विशेष घटक				
3(F)	यूजीसी (एनईआर) एसटी प्रधान कार्यालय	3,334,966	98,983	-	3,433,949
	ईजी	909,379	136,000	-	1,045,379
	एनईआरओ	-	-	-	-
	ऑनलाइन	167,984,000	-	-	167,984,000
	उप योग	172,228,345	234,983	-	172,463,328
	कुल योग (ग)	25,085,677,642	916,505,875	23,805,622,784	49,807,806,301
क्षेत्र-4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि				
4(I)	सामाजिक अवसंरचना विकास निधि	-	-	-	-
4(II)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन	-	-	-	-
4(III)	एमएचआरडी इंडो-यूएस 21वीं सदी ज्ञान पहल द्वारा जारी विशिष्ट निधि	-	-	-	-
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (सामान्य)	80,512,496	-	-	80,512,496
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एससी)	8,925,002	-	-	8,925,002
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एसटी)	562,502	-	-	562,502
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (सामान्य)	818,880,934	5,055,090,000	-	5,873,970,934

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

राशि (रुपये में)

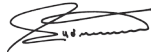
शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (एससी)	688,447,559	1,874,455,098	-	2,562,902,657
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (एसटी)	421,935,442	906,824,428	-	1,328,759,870
4(VIII)	जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के लिए सात छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (सामान्य)	-	6,288,000	-	6,288,000
	जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के लिए सात छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (एससी)	-	2,475,000	-	2,475,000
	जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के लिए सात छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (एसटी)	-	1,237,000	-	1,237,000
	कुल (घ)	2,019,263,935	7,846,369,526	-	9,865,633,461
	उप योग (क, ख, ग, घ)	62,458,661,430	14,891,896,650	92,139,708,390	169,490,266,470
क्षेत्र-5	एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	703,310,156	-	-	703,310,156
क्षेत्र-6	एसटी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,854,439	-	-	2,854,439
क्षेत्र-7	“अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति				
“	522,163,300	-	-	522,163,300	
क्षेत्र-9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	328,961,746	-	-	328,961,746
	कुल (ङ)	1,557,289,641	-	-	1,557,289,641
	कुल योग (क-ङ)	64,015,951,071	14,891,896,650	92,139,708,390	171,047,556,111

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2022-2023	2021-2022	भुगतान	2022-2023	2021-2022
प्रारंभिक शेष			जीपीएफ अग्रिमधनिकासी	142,761,087	203,354,303
बैंक	7,054,776	8,916,971			
जमा खाता एफडीआर	324,200,000	402,400,000			
सरकारी प्रतिभूतियां	230,340,000	230,340,000			
स्थापना खाता-348 से ऋण प्राप्त हुआ	3,149,933		स्थापना खाता-348 क ऋण वापसी	3,149,933	
जीपीएफ सदस्यता	78,538,386	93,618,273			
सीपीएफ सदस्यता	-	-	अंतिम शेष		
सीपीएफ- सरकार का योगदान	-	-	बैंक	324,559	7,054,776
उपार्जित ब्याज	-	-	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	230,340,000	230,340,000
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	323,980,063	324,200,000
वचत बैंक पर ब्याज	428,618	307,700			
एफडीआर पर ब्याज	38,030,036	10,552,242			
सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज	18,813,893	18,813,893			
यूजीसी स्थापना खाते से प्राप्त ब्याज सविसडी	-	-			
कुल	700,555,642	764,949,079	TOTAL	700,555,642	764,949,079

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2023 तक की अवधि का तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

देयताएं	2022-2023	2021-2022	संपत्तियां	2022-2023	2021-2022
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	564,744,709	633,609,852	सावधि जमा में	323,980,063	324,200,000
घटा: निकासी में समायोजन	-	-	सरकारी प्रतिभूतियों में	230,340,000	230,340,000
जमा: वर्ष में सदस्यता	78,538,386	93,618,273	उपार्जित ब्याज	4,373,653	27,007,703
जमा: ब्याज जमा किया गया	38,657,572	40,870,887			
घटा: अग्रिम/आहरण	142,761,087	203,354,303			
			रोकड़ शेष		
अंतिम शेष	539,179,580	564,744,709	बैंक शेष	324,559	7,054,776
प्रारंभिक शेष	23,857,770	24,644,617		-	-
जमा: व्यय से अधिक आय	-4,019,075	-786,847		-	-
जमा: आरंभिक शेष उपार्जित ब्याज	-	-			
अंतिम शेष	19,838,695	23,857,770		-	-
वर्तमान देयता					
कुल	559,018,275	588,602,479	कुल	559,018,275	588,602,479

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

(राशि रुपये में)

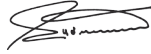
व्यय	2022-2023	2021-2022	आय	2022-2023	2021-2022
ब्याज क्रेडिट किया गया			निवेश पर अर्जित ब्याज	15,395,986	20,962,447
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893
जीपीएफ खाता	38,657,572	40,870,887	वचत बैंक खाते पर ब्याज	428,618	307,700
सीपीएफ खाता	-	-	यूजीसी स्थापना खाते से प्राप्त ब्याज सब्सिडी		
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-		-	-
एनपीएस टियर- प् खाता	-	-			
व्यय से अधिक आय	-	-	आय से अधिक व्यय	4,019,075	786,847
कुल	38,657,572	40,870,887	कुल	38,657,572	40,870,887

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता

(राशि रुपये में)

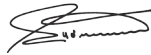
प्राप्तियां	2022-2023	2021-2022	भुगतान	2022-2023	2021-2022
प्रारंभिक शेष			एनएसडीएल को किया गया भुगतान	20,848,012	18,043,088
बैंक	27,129	113,097	शुल्क के लिए एनएसडीएल को किया गया भुगतान		36,159
जमा खाता एफडीआर	-	-	बैंक प्रभार	29	-
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	यूजीसी स्थापना खाता-348 में स्थानांतरण	20,919	-
एनपीएस सदस्यता	20,835,475	17,984,505			
			अंतिम शेष		
			बैंक	-	27,129
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	-	-
बचत बैंक से प्राप्त ब्याज	6,356	8,774			
एफडीआर से प्राप्त ब्याज	-	-			
कुल	20,868,960	18,106,376	कुल	20,868,960	18,106,376

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एनपीएस खाता
31 मार्च, 2023 तक का तुलन- पत्र

(राशि रुपये में)

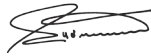
देयताएं	2022-2023	2021-2022	परिसंपत्तियाँ	2022-2023	2021-2022
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	12,546	71,129	सावधि जमा में	-	-
घटा: निकासी में समायोजन	-	-			
जमा: वर्ष भर में सदस्यता	20,835,475	17,984,505			
जमा: जमा राशि से प्राप्त ब्याज					
घटा: एनएसडीएल में स्थानांतरण	20,848,012	18,043,088			
			रोकड़ शेष		
अंतिम शेष	9	12,546	बैंक शेष	-	27,129
			यूजीसी स्थापना खाता-348 में स्थानांतरण	20,919	-
प्रारंभिक शेष	14,583	41,968			
जमा: व्यय से अधिक आय	6,327	-27,385			
अंतिम शेष	20,910	14,583			
कुल	20,919	27,129	कुल	20,919	27,129

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

(राशि रुपये में)

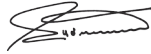
व्यय	2022-2023	2021-2022	आय	2022-2023	2021-2022
ब्याज क्रेडिट किया गया			निवेश पर अर्जित ब्याज	-	-
			सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज	-	-
एनपीएस खाता	-	-	बचत बैंक खाते पर ब्याज	6,356	8,774
सीपीएफ खाता	-	-			
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-			
एनएसडीएल शुल्क	-	36,159			
बैंक शुल्क	29	-			
व्यय से अधिक आय	6,327	-	आय से अधिक व्यय	-	27,385
कुल	6,356	36,159	कुल	6,356	36,159

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां-

अनुसूची: 23

सिद्धांत लेखा नीतियाँ-

1. लेखा-

- क) वित्तीय विवरण पूर्व लागत परंपरा के आधार पर और आम तौर पर लेखांकन की संचय प्रणाली के आधार पर तैयार की जाती हैं, जब तक कि उनके बारे में अन्यथा न कहा गया हो।
- ख) अव्ययित अनुदान की वापसी से संबंधित सभी प्राप्तियों का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।

2. सहायता अनुदान-

अनुदान को रसीद के आधार पर मान्यता दी जाती है और पूंजीगत प्रकृति के व्यय की सीमा को छोड़कर आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है (जो राशि सीधे पूंजी निधि में जमा की जाती है)। निःशुल्क प्राप्त कोई भी गैर-मौद्रिक अनुदान 1/- रुपये की नाममात्र राशि पर दर्शाया जाता है।

3. अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास-

क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी खातों के मानकीकरण के नए प्रारूप में प्रदान की गई सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया गया है। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि या अचल संपत्तियों में कमी (विक्री) के संबंध में, जोड़ या कटौती की तारीख का ध्यान रखते हुए पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। अचल संपत्तियों पर सीधी रेखा विधि से निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है: -

क)	फर्नीचर और फिक्स्चर	7.5%
ख)	विद्युत उपकरण	5.0%
ग)	कंप्यूटर/परिधीय	20%
घ)	लाइब्रेरी की किताबें और जर्नल	10%
ङ)	मोटर वाहन	10%
च)	कार्यालय उपकरण	7.5%
छ)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%

4. सभी जमा/निवेश पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

5. कर्मचारियों का वेतन/लाभ-

- क) केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवा नियम मोटे तौर पर यूजीसी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
- ख) कर्मचारी लाभ लेखा के लिए, परिषद् ने बीमांकिक मूल्यांकन किया। एक्चुरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल ने रुपये का प्रावधान किया है। (10,041,313)/- ग्रेच्युटी के लिए रु.102,445,114/-, रु. 6,534,945/- अवकाश नकदीकरण के लिए और रु. 950,000/- आय एवं व्यय खाते में ऑडिट के लिए इस अतिरिक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आय एवं व्यय खाते में 86,818,856/- रुपये की आय से अधिक व्यय हुआ है।

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव

अनुसूची: 24

खातों के लिए टिप्पणियां

1. संसद द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। यद्यपि प्राप्त अनुदान (पूँजीगत प्रकृति के व्यय के समायोजन के बाद) को आय और व्यय खाते में लिया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रभावी आय इस प्रतिबंध के आलोक में शून्य है कि सरकार की मंजूरी के बिना, अनुदान की अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार, इस पर कोई आयकर देनदारी नहीं बनती है।
2. जिस भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थित है वह भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संपत्ति का पट्टेदार है और इसे 17-06-1960 को शून्य किराए पर आवंटित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस इमारत का रखरखाव करता है और इसका संपत्ति कर चुकाता है।
3. यूजीसी को अपने परिसर के निर्माण के उद्देश्य से जनवरी 1990 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा बिना किराए के आधार पर 25 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। हालाँकि, इसमें से 5 एकड़ भूमि यूजीसी द्वारा जनवरी 2003 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को हस्तांतरित कर दी गई थी। यूजीसी इस भूमि का रखरखाव करता है और नियमित रूप से अपने संपत्ति कर का भुगतान करता है।
- 4^ए अधिशेष निधि अस्थायी रूप से शेड्यूल बैंक के पास रखी जाती है। किसी भी समय राशि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 5^ए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग ने पहली बार जीपीएफ के लिए अलग बैलेंस शीट बनाई। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, इसे मुख्य वित्तीय विवरण के साथ विलय कर दिया गया था, इसलिए जीपीएफ की अलग बैलेंस शीट में कोई प्रारंभिक शेष नहीं लिया गया था।
6. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार भारत सरकार ने एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) खोला, जिसका प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च तक खाते में जो भी शेष राशि खर्च नहीं की गई है, वह सरकारी अधिकारियों या फंडिंग एजेंसियों को दे दी गई है। तदनुसार, 31.03.2023 तक रुपये का बकाया शेष है। 10,083,912,625/- टीएसए खाते में जो 31 मार्च के अंत में स्वचालित रूप से सरकारी खातों में जमा हो जाता है। इस अव्ययित शेष विवरणी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय योजना-873 में 2,888,090/- रुपये की धनराशि ऋणात्मक दर्शायी गयी। इसका तात्पर्य यह है कि जारी अनुदान के मुकाबले अधिक व्यय किया गया, जो टीएसए मानदंडों के अनुसार संभव नहीं है। इस मामले में पीएफएमएस डीलिंग अधिकारी से ईमेल के जरिए चर्चा की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेखांकन मानदंडों के अनुसार, टीएसए में नकारात्मक शेष को अनुदान भुगतान वाउचर से नहीं काटा जा सकता है। रुपये का ऋणात्मक शेष. वार्षिक लेखा में 2,888,090/- को शून्य मान लिया गया है। इस प्रभाव के बाद, अव्ययित शेष राशि में रुपये की वृद्धि हुई है जो अब 2,888,090/- हो गयी है। 10,086,800,715/- अतः उपरोक्त खाते का समापन शेष शून्य हो जाता है।
7. सीपीडब्ल्यूडी को कुल अग्रिम भुगतान रु. 9,35,92,832/- जिसमें रुपये की राशि शामिल है। वर्ष 2022-2023 के दौरान अग्रिम के रूप में शून्य जिसके विरुद्ध व्यय विवरण और सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त रिफंड शून्य है और 31/03/2023 को शुद्ध बकाया शेष रु. 9,35,92,832/- है।
8. किए गए अग्रिम और वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए को अंतिम खाते के शीर्ष में समायोजित किया जाता है/संबंधित पार्टी/विभाग से अंतिम बिल/प्राप्ति पर वसूल किया जाता है।
9. अन्य-
 - क) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए प्राप्ति और भुगतान सहित खातों और अनुसूची के वित्तीय विवरणों में जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को फिर से समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
 - ख) वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को निकटतम भारतीय रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

1. आकस्मिक देनदारियाँ

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राशि के खिलाफ अदालत और अन्य मामलों के संबंध में देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

क) संगठन की पूंजी प्रतिबद्धता- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31 मार्च 2023 की तुलन पत्र की अनुसूची के अनुसार पूंजीगत कोष में दिखाया गया है।

3. वर्तमान संपत्ति और अग्रिम

क) वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का गतिविधियों के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

स्थान:

दिनांक :



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
 डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

ए.एम.जी-III/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-54/2023-24/

दिनांक: 30.11.2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
 उच्चतर शिक्षा विभाग,
 शिक्षा मंत्रालय,
 शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय

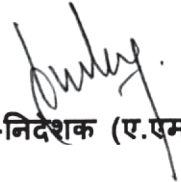
संलग्नक: यथोपरि

(हस्ताक्षर)
 उप-निदेशक (ए.एम.जी-III)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

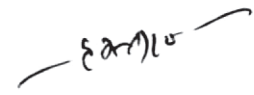
संलग्नक: यथोपरि


उप-निदेशक (ए.एम.जी-III)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि


उप-निदेशक (ए.एम.जी-III)

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्रों के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 (3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1957 की धारा 19 (2) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और उसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की 31 मार्च 2023 तक संलग्न बैलेंस शीट (तुलन पत्र), उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्तियों और भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाओं के वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रथाओं के साथ इनकी अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में लेखाकरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (प्रप्राइटी एवं रेग्युलरेटी) और कार्यक्षमता एवं प्रदर्शन से संबंधित पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों (ट्रांजेक्शन) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों, आदि, यदि कोई हो, को निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें ताकि हम औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त कर सकें कि वित्तीय विवरण तात्विक गैर-कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा से वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के समर्थक साक्ष्यों की, प्रायोगिक आधार पर, विवेचना करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा से प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने की भी अपेक्षा की जाती है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा मोटे तौर पर भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों (आईयूसी) द्वारा उचित लेखा-बहियां अनुरक्षित की गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा उनकी बहियों की संवीक्षा से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

भाग क

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) - रु. 15.50 करोड़

(i) मई, 2013 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाकिर हुसैन महाविद्यालय के लिए 67.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बहुमंजिला शैक्षणिक भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस महाविद्यालय ने नवंबर 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत को 67.97 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95.50 करोड़ रुपये अनुमोदित करने और अनुदान सहायता पर उपार्जित 18 करोड़ रुपये के ब्याज को बहुमंजिला शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान के हिस्से के रूप में मानने का अनुरोध किया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 2022, जुलाई 2022 और मार्च 2023 में महाविद्यालय को 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि वापस करने के लिए कहा था (स्वीकृत अनुदान सहायता के 5.50 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद, जो महाविद्यालय को जारी की जानी थी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय से प्राप्य 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को न हीं ऋण, अग्रिम और जमा के तहत और न हीं वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया क्योंकि अनुदान सहायता पर ब्याज आय भारत सरकार को वापस की जानी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाब दिया कि खर्च नहीं किए गए अनुदान के प्रतिदेय को बैंक खातों में प्राप्त होने के बाद ही वार्षिक लेखाओं में अनुसूची 10 में दर्शाया गया है। चूंकि यह राशि प्राप्य है, इसलिए इसे ऋण, अग्रिम और जमा के तहत तथा वर्तमान देनदारियों के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा तथा वर्तमान देनदारियों में 12.5 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है। इसका उल्लेख वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में भी किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सामान्य

ख. 1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न संस्थाओं (केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों) को सहायता अनुदान जारी करने और उसके प्रतिदेय का लेखा-जोखा नकद आधार पर कर रहा है जैसा कि उसकी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1 (ख) में प्रकट किया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण इन संस्थाओं के पास सहायता अनुदान की भारी राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है अर्थात् खर्च नहीं की गई है। कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है क्योंकि विभिन्न संस्थानों के पास लंबित बकाया यूसी और अप्रयुक्त सहायता अनुदान की पूरी स्थिति लेखा परीक्षा टीम को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(i) शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को जारी किए गए ₹ 130 करोड़ और ₹ 19.95 करोड़ की ब्याज/आंतरिक प्राप्तियों के मुकाबले, ₹ 100.50 करोड़ का व्यय किया गया था, 31.03.2023 तक ₹ 49.45 करोड़ का शेष राशि छोड़कर । ₹ 49.45 करोड़ की शेष राशि में से ₹ 31.92

करोड़ की राशि वापस कर दी गई है और यूजीसी द्वारा ₹ 4.67 करोड़ की राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे सीयू के पास ₹ 12.86 करोड़ की अव्ययित शेष राशि रह गई है।

(ii) 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी क्रमशः 560.64 करोड़ रुपये और 385 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2021 तक लंबित थे। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध नहीं थी। इस बारे में रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद, 2019-20 के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(iii) 12^{वीं} योजना के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किए गए 136.43 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2021 तक बकाया थे, जबकि योजना अवधि काफी समय पहले बीत चुकी है। इन लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की अद्यतित स्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। इस बारे में 2020-21 से रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(iv) 2008-09 से 2017-18 की अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2496.93 करोड़ रुपये जारी किए थे। 31 मार्च 2018 तक इस सहायता अनुदान के उपयोग की स्थिति के अनुसार (मार्च 2018 से मार्च 2023 तक यूजीसी की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया है) केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इस सहायता अनुदान पर 52.51 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की और 2549.44 करोड़ रुपये की कुल राशि में से उन्होंने 2361.90 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया। इस प्रकार 31 मार्च 2023 तक की स्थिति लेखापरीक्षा टीम को प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार 187.55 करोड़ रुपये (135.04 करोड़ रुपये + 52.51 करोड़ रुपये) का अव्ययित शेष, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पास था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस किया जा सकता था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्य के रूप में नहीं दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा

अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखा सहायता अनुदान और उसके उपयोग के बारे में सही और स्पष्ट स्थिति नहीं दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या तो सहायता अनुदान का लेखा-जोखा करने और उसकी नकद आधार पर वापसी की अपनी लेखा नीति में परिवर्तन करे अथवा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर संस्थाओं के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की पूरी सूचना लेखाओं पर टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट्स) में प्रकट की जाए।

ग. सहायता अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। वर्ष 2022-23 के लेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18069.86 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया था, उसके पास 1 अप्रैल 2022 को 357.36 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था, उसे प्रत्याभूतिदाता संस्थानों से 463.12 करोड़ रुपये का प्रतिदाय प्राप्त हुआ था और उसने 27.17 करोड़ रुपये की आय भी प्राप्त की थी। इस प्रकार कुल 18917.51 करोड़ रुपये की निधि में से, 1008.68 करोड़ रुपये व्यपगत हो गए थे और

276.74 करोड़ रुपये शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए गए थे। आयोग ने 17069.73 करोड़ रुपये (पूँजी - 2.27 करोड़ रुपये, राजस्व - 118.43 करोड़ रुपये, और अनुदान - 16949.03 करोड़ रुपये) का उपयोग किया तथा उसके पास 31 मार्च 2023 तक 562.36 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित मंत्रालयों से भी सहायता अनुदान प्राप्त किया था:

(क) अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 42 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। आयोग के पास 13.01 करोड़ रुपये का अथ शेष था। आयोग को बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 41.93 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए। 96.94 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 70.33 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे पास 31.3.2023 तक 26.61 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 32.59 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। आयोग के पास 0.28 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.22 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए थे। 33.09 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 32.90 करोड़ रुपये का उपयोग किया और उसके पास 31.3.2023 तक 0.20 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से 51.61 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। आयोग के पास 0.60 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.18 करोड़ रुपये भी मिले। 52.38 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, आयोग ने 52.22 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिसके कारण उसके पास 31.3.2023 तक 0.17 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।

(घ) यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान नहीं मिला, लेकिन उसके पास 1.05 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.04 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए थे। 1.09 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, आयोग ने 0.29 करोड़ रुपये का उपयोग किया, और उसके पास 31.3.2023 तक 0.80 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।

भाग-ख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के तहत नौ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की थी, जिनमें अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली, शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), नई दिल्ली, अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल-भौतिकी केंद्र (आयुका), पुणे, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफ्लिबनेट), गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक), बेंगलुरु, यूजी-डीई परमाणु ऊर्जा विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान संकुल (सीएसआर) इंदौर, अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) बीएचयू, वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद

(काकीनाडा) और अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु शामिल हैं। इनमें से अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने कार्य करना शुरू नहीं किया था। शेष आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के वर्ष 2022-23 के लिए लेखाओं के सत्यापन की लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2022-23 के लिए सत्यापन लेखापरीक्षा के साथ सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत की गई थी। इन केंद्रों के लेखाओं पर टिप्पणियां नीचे दी गई हैं: –

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूसी), नई दिल्ली

क. सहायता अनुदान

आईयूसी ने 2022-23 के दौरान 75.47 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया (पूँजी: 15.25 करोड़ रुपये और राजस्व: 60.22 करोड़ रुपये)। उसके पास 5.74 करोड़ रुपये का अथ (शेष था (पूँजी: 10.18 करोड़ रुपये और राजस्व: (-) 4.44 करोड़ रुपये)। उसने 63.40 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.62 करोड़ रुपये, राजस्व: 53.99 करोड़ रुपये और यूजीसी को प्रतिदाय: 1.79 करोड़ रुपये) का उपयोग किया और उसके पास 31 मार्च 2023 तक 17.81 करोड़ रुपये (पूँजी: 17.81 करोड़ रुपये और राजस्व: शून्य) का अव्ययित शेष था।

2. शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), नई दिल्ली

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-4) – 4.81 करोड़ रुपये

वर्ष के दौरान पुराने वाहन और पुराने दृश्य-श्रव्य उपकरणों को ई-कचरे के रूप में बेचने के लेन-देन हुए। लेकिन इस बिक्री का प्रभाव उपर्युक्त अनुसूची में परिलक्षित नहीं किया गया। इन परिसंपत्तियों के ग्रास ब्लॉक मूल्य (80,92,915 रुपये) और नेट ब्लॉक (29,04,708 रुपये) मूल्य को परिसंपत्तियों से समायोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 27.11 लाख रुपये (निपटारा की गई परिसंपत्तियों के नेट ब्लॉक का मूल्य: 29.05 लाख रुपये - 1.94 लाख रु. के बिक्री आगम) की हानि के बजाय, आय के रूप में लेखाओं में 1.94 लाख रुपये के बिक्री आगमों को लेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों की 29.05 लाख रुपये की अत्योक्ति, आय की 1.94 लाख रुपये की अत्योक्ति तथा व्यय (परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि) की 27.11 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

क.1.2 ऋण और अग्रिम (अनुसूची-8) - 59.93 करोड़ रुपये

(राजस्व -3,01,40,345)

सीईसी ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई को 2011 में 1.81 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया था। यह राशि 'ऋण और अग्रिम - लेखाओं में राजस्व' के तहत दर्शाई गई है। हालांकि, एनआईसीएसआई के दिनांक 02.03.2021 के पत्र के अनुसार, 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद, सीईसी की 0.07 करोड़ रुपये की देयता है। तथापि, सीईसी ने न तो 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान का समायोजन किया है और न ही लेखाओं में 0.07 करोड़ रुपये के प्रावधान किए। इससे ऋण और अग्रिम में 1.81 करोड़ रुपये की अत्योक्ति, खर्चों की 1.88 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति और वर्तमान देनदारियों की 0.07 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

इसके बारे में पिछले लेखापरीक्षा के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 आय

ख.1.1 बीमांकिक आकलन के अनुसार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर 5.74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए पूर्वावधि प्रावधान होने के नाते 22.95 करोड़ रुपये को पूँजीगत निधि में समायोजित करने की आवश्यकता थी, जिसे पहले (2021-22 लेखाओं) पूँजी निधि में समायोजित नहीं किया गया था।

इन दो प्रावधानों पर विचार करते हुए यह पाया गया कि लेखाओं की अनुसूची-1 -पूँजी/कॉर्पस फंड में 28.69 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी। तथापि, चालू वर्ष की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों का प्रावधान भी अनुसूची 15 (कर्मचारियों को भुगतान और हितलाभ) के माध्यम से आय एवं व्यय लेखा में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए 2022-23 के प्रावधान को दोगुना संगणित किया गया क्योंकि इसका लेखांकन दो बार किया गया था यथा, (i) कर्मचारी भुगतान और हितलाभ (अनुसूची 15) के भाग के रूप में और (ii) सीधे अनुसूची-1 के भाग के रूप में। इस दोहरे लेखांकन के परिणामस्वरूप लेखाओं को संतुलित करने के लिए, सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए प्रोदभूत (5,73,96,037 रुपये) को आय के रूप में दिखाया गया था।

इसके परिणामस्वरूप आय में ₹ 5.74 करोड़ की वृद्धि हुई।

ग. सहायता अनुदान

सीईसी को वर्ष 2022-23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय से 13.61 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास 80.01 करोड़ रुपये का अथ शेष था। वर्ष के दौरान उसे 0.78 करोड़ रुपये का ब्याज और अन्य आय प्राप्त हुई। 94.40 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 17.35 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जबकि 31 मार्च 2023 तक 77.05 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष रहा।

3. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो-फिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे

क. सहायता अनुदान

आईयूसीएए को वर्ष के दौरान 47.09 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित यूसी के अनुसार 5.80 करोड़ रुपये (ओएच 31 के तहत 2.20 करोड़ रुपये, ओएच 36 के तहत 3.60 करोड़ रुपये) के अनुदान का अप्रयुक्त अग्रेनीत शेष था। इसके अतिरिक्त, आईयूसीएए ने वर्ष के दौरान 0.59 करोड़ रुपये की आंतरिक आय अर्जित की। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधियां 53.48 करोड़ रुपये परिकलित किया जाता है, जिसमें से आईयूसीएए ने 46.09 करोड़ रुपये (ओएच 31 के तहत 24.24 करोड़ रुपये, ओएच 36 के तहत 21.85 करोड़ रुपये) का उपयोग किया गया। अतः, 31.03.2023 की समाप्ति पर अप्रयुक्त

अनुदान 7.39 करोड़ रुपये परिकलित होता है (राजस्व शीर्ष (ओएच 36) के तहत 2.89 करोड़ रुपये, वेतन शीर्ष (ओएच 31) के तहत 4.50 करोड़ रुपये था)।

आईयूसीए को कैपिटल (ओएच 35) के तहत 15.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और उसके पास 13.27 करोड़ रुपये के अनुदान का अप्रयुक्त अग्रेनीत शेष है, जिसमें से 26.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च के रूप में दिखाई गई है और 31 मार्च 2023 तक ₹ 2.08 लाख की शेष अप्रयुक्त अनुदान सहायता। हालांकि, संस्थान ने उपयोग प्रमाण पत्र में सावधि जमा पर धारणाधिकार को, जिसे मार्जिन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में वित्तस्तारित किया गया था, 1040 लाख रुपये के खर्च के रूप में दिखाया है, जबकि व्यय वास्तव में नहीं किया गया है। इस प्रकार, अप्रयुक्त पूँजीगत अनुदान 1042.08 लाख रुपये (2.08 लाख रुपये + 1040 लाख रुपये) परिकलित होता है।

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर

क. तुलन पत्र

क.1 पूँजीगत निधि (अनुसूची 1) – 60.19 करोड़ रुपये

अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 4) - 35.14 करोड़ रुपये

(i) केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरण के प्रारूप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8.1 के अनुसार, कॉर्पस फंड से बनाई गई संपत्ति को पूँजी निधि में समान राशि जमा करके संस्थान की संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है।

कॉर्पस फंड (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अलग) से बनाई गई ₹ 1.43 करोड़ की संपत्ति को न तो अचल संपत्तियों में जोड़ा गया और न ही इतनी ही राशि पूँजीगत निधि में जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों और पूँजीगत निधि में ₹ 1.43 करोड़ की कमी बताई गई। मूल्यहास को तदनुसार वसूलने की आवश्यकता है।

ख. सहायता अनुदान:

पिछले वर्ष का अव्ययित सहायता अनुदान 1.05 करोड़ रुपये था। 2022-23 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान 12.57 करोड़ रुपये था। संस्थान ने 12.04 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया और 0.48 करोड़ रुपये की राशि अभ्यर्पित कर दी। वर्ष के लिए सहायता अनुदान का अंत शेष 1.11 करोड़ रुपये था।

5. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु

क. लेखाओं पर टिप्पणियां सं. 6 (अनुसूची 15 बी) के अनुसार, कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण और उपदान/ग्रेच्युटी का लेखांकन नकद आधार पर दिया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेखाओं पर यह टिप्पणी शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का उल्लंघन है जिसमें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान करना निर्दिष्ट किया गया है।

ख. सहायता अनुदान

एनएएसी को वर्ष के दौरान 13.34 करोड़ रुपये (ओएच 31: 1.43 करोड़ रुपये और ओएच 36: 11.91 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। उसके पास 12.15 लाख रुपये (ओएच 31) की अन्य प्राप्ति, 0.67 लाख रुपये की ब्याज आय (ओएच 31) और (-) 29.05 करोड़ रुपये (ओएच 31: (-) 25.95 करोड़ रुपये और ओएच 36: (-) 3.10 करोड़ रुपये का अथ शेष था। (-) 15.58 करोड़ रुपये की कुल निधि में से, एनएएसी ने 17.77 करोड़ रुपये (ओएच 31: 5.99 करोड़ रुपये और ओएच 36: 11.77 करोड़ रुपये) का उपयोग किया और इस प्रकार 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 33.35 करोड़ रुपये (ओएच 31: 30.39 करोड़ रुपये और ओएच 36: 2.96 करोड़ रुपये) का घाटा दर्शाया गया।

एनएएसी को डीएसटी परियोजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 21.56 लाख रुपये का सहायता अनुदान अलग से भी प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष के दौरान 11.14 लाख रुपये का व्यय किया गया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 10.42 लाख रुपये का अव्ययित शेष था।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएसआर), इंदौर, मध्य प्रदेश

क. सहायता अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान, संस्थान को 51.96 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, संस्थान के पास 5.02 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि थी। इस प्रकार 56.98 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, 53.08 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 3.90 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त शेष थी।

वर्ष के दौरान उपार्जित और वापस किया गया ब्याज शीर्ष-35 के तहत यूसी में दिखाए गए पूंजीगत अनुदान को छोड़कर समान है, जिसमें वर्ष 2022-23 के लिए 0.01 लाख रुपये के आकस्मिक ब्याज को छोड़कर; उपार्जित ब्याज 4.81 लाख रुपये है और वापस किया गया ब्याज 4.80 लाख रुपये है।

तथापि, संस्थान के यूसी में पूंजी एवं राजस्व अनुदान के विपरीत 0.36 लाख रुपये तथा 2.74 लाख रुपये की अग्रिम राशि दर्शाई गई है।

7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां (अनुसूची 4) – रु. 46.48 लाख

कर्नाटक सरकार ने मार्च 2020 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय में निहित 15 एकड़ भूमि 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आईयूसीवाईएस की स्थापना के लिए आईयूसीवाईएस को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये के पट्टे

के भुगतान की शर्त पर हस्तांतरित की। हालांकि, दिसंबर 2022 में बैंगलोर विश्वविद्यालय के स्पेशियल सिंडिकेट ने आईयूसीवाईएस को आवंटित भूमि वापस लेने और विचारशील धन की वापसी तथा स्वीकार्य ब्याज दर सहित पट्टा विलेख रद्द करने का निर्णय लिया। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान, आईयूसीवाईएस ने बैंगलोर विश्वविद्यालय को 15.00 लाख रुपये (7.50 लाख रुपये प्रति वर्ष) पट्टे के किराए का भुगतान किया। बैंगलोर विश्वविद्यालय के स्पेशियल सिंडिकेट के निर्णय और उपर्युक्त लीज डीड को वापस लेने/रद्द करने के बाद उपरोक्त 15.00 लाख रुपये 31.03.2023 की समाप्ति पर आईयूसीवाईएस द्वारा प्राप्य थे। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि आईयूसीवाईएस ने 2022-23 के वार्षिक लेखाओं में 15.00 लाख रुपये प्राप्य के रूप में नहीं दिखाए। इसके परिणामस्वरूप आय और चालू परिसंपत्तियां में 15.00 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

ख. सहायता अनुदान

आईयूसीवाईएस ने अनुदान सहायता के रूप में 2022-23 के दौरान 10.00 लाख रुपये प्राप्त किए। 01 अप्रैल 2022 की समाप्ति पर उसके पास 93.67 लाख रुपये का अथ शेष था। 103.67 लाख रुपये की कुल निधि में से, उसने 60.73 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर उसके पास 42.94 लाख रुपये का अव्ययित शेष था।

8. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी

क. सहायता अनुदान

केंद्र को 864.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और वर्ष 2022-23 के दौरान उसे 19.70 लाख रुपये की विविध आय प्राप्त हुई। 58.07 लाख रुपये के अथ शेष राशि को लेने के बाद, कुल उपलब्ध निधियां 941.77 लाख रुपये परिकलित होती हैं, जिसमें से केंद्र ने 864.26 लाख रुपये का उपयोग किया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 77.51 लाख रुपये अप्रयुक्त थे।

घ. प्रबंधन पत्र : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को अलग से जारी एक पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान के ध्यान में लाया गया है।

v पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के अनुरूप हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है:

क. जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी-डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर, इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली के संबंध में घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) पुणे और इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस) बेंगलुरु, और नेशनल प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु के मामले में अधिशेष उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यांकन से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

**लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)**

स्थान: नई दिल्ली

तिथि:

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कमजोर है क्योंकि:

- यूजीसी के पास न तो कोई आंतरिक ऑडिट विंग है और न ही कोई एजेंसी अर्थात सीए फर्म को आंतरिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखा परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा कभी नहीं की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली/मैनुअल नहीं है।
- आईयूसी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	आंतरिक लेखा परीक्षा की स्थिति
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	2018-19
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन , वाराणसी	2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	कोई आंतरिक लेखा परीक्षा खंड नहीं है
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्क्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	2018-19
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	2021-22
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कभी संचालित नहीं की गई

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जैसा कि नीचे बताया गया है:-

- यूजीसी द्वारा जारी किए गए सहायता अनुदान की अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के पास निधियां संचय में रही।
- बाह्य लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावकारी नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय के संबंध में 1979-80 से 2021-22 की अवधि से संबंधित 87 लेखापरीक्षा पैरा 31.3.2023 तक बकाया थे।
- आईयूसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	टिप्पणी
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली,	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	• रिक्तियों को भरा नहीं गया क्योंकि 57 पदों की स्वीकृत संख्या के विपरीत 45 पद रिक्त हैं। • रोकड़ बही कायम नहीं की जाती • अचल परिसंपत्तियां रजिस्टर को उचित रूप में कायम नहीं किया जाता
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	• अग्रिम 2006-07 से बकाया हैं
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्रीडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया के आधार पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त पाई गई क्योंकि 04/2018 से 08/2021 की अवधि से संबंधित 22 पैरा लंबित थे।

8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त
----	--	--

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कंप्यूटर और इसके सहायक उपकरणों का भौतिक सत्यापन नवंबर 2021 तक किया गया है (भौतिक सत्यापन 2008 के बाद आयोजित किया गया था)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-4-अचल परिसंपत्तियां के अनुसार, 66.93 लाख रुपये की राशि मोटर वाहन के रूप में परिलक्षित की गई, लेकिन मोटर वाहन को अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) की बहियों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2022-23 तक किया गया है।
- आईयूसी की अचल परिसंपत्तियां के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	भौतिक सत्यापन की तिथि/ टिप्पणी
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	2022-23
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	वर्ष 2022-23 के लिए नहीं किया गया
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19 (संयंत्र एवं मशीनरी और वाहन के सिवाय)
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	वर्ष 2022-23 के लिए नहीं किया गया
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक््रीडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	वर्ष 2022-23 के लिए नहीं किया गया
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	अप्रैल 2021
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई अचल परिसंपत्तियां नहीं हैं

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

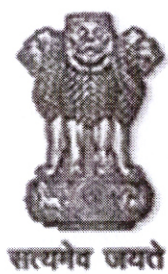
यूजीसी (मुख्या.) के उपभोज्यों एवं लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन 2022-23 तक किया गया।

- आईयूसी की इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	भौतिक सत्यापन की तिथि/ टिप्पणी
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	2022-23
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन , वाराणसी	2022-23 के लिए नहीं किया गया
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	2022-23
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्रीडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	सूचना उपलब्ध नहीं है
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	2020-21
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई इन्वेंट्री नहीं है

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

लेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) और उसके आईयूसी के संबंध में 31.3.2023 तक सांविधिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110 002

Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phone : 011-23604301, 011-23604336



यूजीसी और उसके अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की वर्ष 2022 -2023 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	टिप्पणियां
क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) - रु. 15.50 करोड़ मई, 2013 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाकिर हुसैन महाविद्यालय के लिए 67.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बहुमंजिला शैक्षणिक भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस महाविद्यालय ने नवंबर 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत को 67.97 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95.50 करोड़ रुपये अनुमोदित करने और अनुदान सहायता पर उपार्जित 18 करोड़ रुपये के ब्याज को बहुमंजिला शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान के हिस्से के रूप में मानने का अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 2022, जुलाई 2022 और मार्च 2023 में महाविद्यालय को 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि वापस करने के लिए कहा था (स्वीकृत	इस मुद्दे पर यूजीसी कार्यालय में 21.6.2023 को यूजीसी के सचिव और जाकिर हुसैन महाविद्यालय के प्रिंसिपल के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में महाविद्यालय को 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था और महाविद्यालय ने इस मामले को महाविद्यालय के शासी निकाय में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, इस आश्वासन का समय निकल चुका है। अब, यूजीसी ने 10.10.2023 को महाविद्यालय को एक पत्र भेजा है जिसमें महाविद्यालय से संयोजित ब्याज के साथ 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रति अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।

	अनुदान सहायता के 5.50 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद, जो महाविद्यालय को जारी की जानी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय से प्राप्य 12.50 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को न ही ऋण, अग्रिम और जमा के तहत और न ही वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया क्योंकि अनुदान सहायता पर ब्याज आय भारत सरकार को वापस की जानी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाब दिया कि खर्च नहीं किए गए अनुदान के प्रतिदेय को बैंक खातों में प्राप्त होने के बाद ही वार्षिक लेखाओं में अनुसूची 10 में दर्शाया गया है। चूंकि यह राशि प्राप्य है, इसलिए इसे ऋण, अग्रिम और जमा के तहत तथा वर्तमान देनदारियों के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा तथा वर्तमान देनदारियों में 12.5 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है। इसका उल्लेख वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में भी किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	
ख.	सामान्य	
ख.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न संस्थाओं (केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों) को सहायता अनुदान जारी करने और उसके प्रतिदेय का लेखा-जोखा नकद आधार पर कर रहा है जैसा कि उसकी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1 (ख) में प्रकट किया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण इन संस्थाओं के पास सहायता अनुदान की भारी राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है अर्थात् खर्च नहीं की गई है। कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है क्योंकि विभिन्न संस्थानों के पास लंबित बकाया यूसी और अप्रयुक्त सहायता	

	अनुदान की पूरी स्थिति लेखा परीक्षा टीम को प्रस्तुत नहीं की गई थी।	
(i)	शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को जारी किए गए ₹ 130 करोड़ और ₹ 19.95 करोड़ की ब्याज/आंतरिक प्राप्तियों के मुकाबले, ₹ 100.50 करोड़ का व्यय किया गया था, 31.03.2023 तक ₹ 49.45 करोड़ का शेष राशि छोड़कर। ₹ 49.45 करोड़ की शेष राशि में से ₹ 31.92 करोड़ की राशि वापस कर दी गई है और यूजीसी द्वारा ₹ 4.67 करोड़ की राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे सीयू के पास ₹ 12.86 करोड़ की अव्ययित शेष राशि रह गई है।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए 130.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 18 में से 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अव्ययित शेष जमा कर दिया है। चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पास मौजूद अव्ययित शेष को लौटाएं। सीयू को भेजी गई सूचना इसके साथ संलग्न है। एक विश्वविद्यालय ने अधिक व्यय किया है और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में खर्च न किए गए अनुदान की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्थानों के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान के संबंध में सूचना चालू वित्तीय वर्ष में लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।
(ii)	2018-19 और 2019-20 के दौरान पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी क्रमशः 560.64 करोड़ रुपये और 385 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2021 तक लंबित थे। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध नहीं थी। इस बारे में रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद, 2019-20 के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	लेखाओं को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेखाओं के निपटान के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सूचना भेज दी गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे गए मेल अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्थानों के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान के संबंध में सूचना चालू वित्तीय वर्ष में लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।
(iii)	12^{वीं} योजना के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किए गए 136.43 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र मार्च 2021 तक बकाया थे, जबकि योजना अवधि काफी समय पहले बीत चुकी है। इन लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की अद्यतित स्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। इस बारे में 2020-21 से रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्थानों के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान के संबंध में सूचना चालू वित्तीय वर्ष में लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।

	की गई है।	
(iv)	2008-09 से 2017-18 की अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2496.93 करोड़ रुपये जारी किए थे। 31 मार्च 2018 तक इस सहायता अनुदान के उपयोग की स्थिति के अनुसार (मार्च 2018 से मार्च 2023 तक यूसी की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया है) केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इस सहायता अनुदान पर 52.51 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की और 2549.44 करोड़ रुपये की कुल राशि में से उन्होंने 2361.90 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया। इस प्रकार 31 मार्च 2023 तक की स्थिति लेखापरीक्षा टीम को प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार 187.55 करोड़ रुपये (135.04 करोड़ रुपये + 52.51 करोड़ रुपये) का अव्ययित शेष, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पास था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस किया जा सकता था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त के रूप में नहीं दिखाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखा सहायता अनुदान और उसके उपयोग के बारे में सही और स्पष्ट स्थिति नहीं दर्शाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या तो सहायता अनुदान का लेखा-जोखा करने और उसकी नकद आधार पर वापसी की अपनी लेखा नीति में परिवर्तन करे अथवा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर संस्थाओं के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान की पूरी सूचना लेखाओं पर टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट्स) में प्रकट की जाए।	इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक संस्थानों के पास लंबित अप्रयुक्त सहायता अनुदान के विषय में सूचना चालू वित्तीय वर्ष में लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकट की जाएगी।
ग.	सहायता अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य रूप से उच्चतर	सहायता अनुदान में दर्शाए गए आंकड़े हमारे रिकार्ड से मेल खाते हैं।

	शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। वर्ष 2022-23 के लेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18069.86 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया था, उसके पास 1 अप्रैल 2022 को 357.36 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था, उसे प्रत्याभूतिदाता संस्थानों से 463.12 करोड़ रुपये का प्रतिदाय प्राप्त हुआ था और उसने 27.17 करोड़ रुपये की आय भी प्राप्त की थी। इस प्रकार कुल 18917.51 करोड़ रुपये की निधि में से, 1008.68 करोड़ रुपये व्यपगत हो गए थे और 276.74 करोड़ रुपये शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए गए थे। आयोग ने 17069.73 करोड़ रुपये (पूँजी - 2.27 करोड़ रुपये, राजस्व - 118.43 करोड़ रुपये, और अनुदान - 16949.03 करोड़ रुपये) का उपयोग किया तथा उसके पास 31 मार्च 2023 तक 562.36 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था। वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित मंत्रालयों से भी सहायता अनुदान प्राप्त किया था:	
(क)	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 42 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। आयोग के पास 13.01 करोड़ रुपये का अथ शेष था। आयोग को बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 41.93 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए। 96.94 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 70.33 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे पास 31.3.2023 तक 26.61 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।	जैसा उपरोक्त में बताया गया है
(ख)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 32.59 करोड़ रुपये का सहायता	जैसा उपरोक्त में बताया गया है



	अनुदान। आयोग के पास 0.28 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.22 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए थे। 33.09 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 32.90 करोड़ रुपये का उपयोग किया और उसके पास 31.3.2023 तक 0.20 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।	
(ग)	अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्वेतावृत्ति के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से 51.61 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। आयोग के पास 0.60 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.18 करोड़ रुपये भी मिले। 52.38 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, आयोग ने 52.22 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिसके कारण उसके पास 31.3.2023 तक 0.17 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।	जैसा उपरोक्त में बताया गया है
(घ)	यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान नहीं मिला, लेकिन उसके पास 1.05 करोड़ रुपये का अथ शेष था। उसे बैंक ब्याज और प्रतिदाय के रूप में 0.04 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए थे। 1.09 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, आयोग ने 0.29 करोड़ रुपये का उपयोग किया, और उसके पास 31.3.2023 तक 0.80 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष था।	जैसा उपरोक्त में बताया गया है



भाग-ख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली

क.	सहायता अनुदान आईयूएसी ने 2022-23 के दौरान 75.47 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया (पूँजी: 15.25 करोड़ रुपये और राजस्व: 60.22 करोड़ रुपये)। उसके पास 5.74 करोड़ रुपये का अथ (शेष था (पूँजी: 10.18 करोड़ रुपये और राजस्व: (-) 4.44 करोड़ रुपये)। उसने 63.40 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.62 करोड़ रुपये, राजस्व: 53.99 करोड़ रुपये और यूजीसी को प्रतिदाय: 1.79 करोड़ रुपये) का उपयोग किया और उसके पास 31 मार्च 2023 तक 17.81 करोड़ रुपये (पूँजी: 17.81 करोड़ रुपये और राजस्व: शून्य) का अव्ययित शेष था।	नोट कर लिया गया है
----	---	--------------------

2. शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी), नई दिल्ली

क.	तुलन पत्र	नोट कर लिया गया है। इसे सीएजी की सलाह के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान त्रुटि-सुधार/समायोजित किया जाएगा।
क.1	परिसंपत्तियां	
क.1.1	अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-4) - 4.81 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान पुराने वाहन और पुराने दृश्य-श्रव्य उपकरणों को ई-कचरे के रूप में बेचने के लेन-देन हुए। लेकिन इस बिक्री का प्रभाव उपर्युक्त अनुसूची में परिलक्षित नहीं किया गया। इन परिसंपत्तियों के ग्रास ब्लॉक मूल्य (80,92,915 रुपये) और नेट ब्लॉक (29,04,708 रुपये) मूल्य को परिसंपत्तियों से समायोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 27.11 लाख रुपये (निपटारा की गई परिसंपत्तियों के नेट ब्लॉक का मूल्य: 29.05 लाख रुपये - 1.94 लाख रु. के बिक्री आगम) की हानि के बजाय, आय के रूप में	

	लेखाओं में 1.94 लाख रुपये के बिक्री आगमों को लेखांकित किया गया।। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों की 29.05 लाख रुपये की अत्योक्ति, आय की 1.94 लाख रुपये की अत्योक्ति तथा व्यय (परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि) की 27.11 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।	
क.1.2	ऋण और अग्रिम (अनुसूची-8) - 59.93 करोड़ रुपये (राजस्व -3,01,40,345) सीईसी ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई को 2011 में 1.81 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया था। यह राशि 'ऋण और अग्रिम - लेखाओं में राजस्व' के तहत दर्शाई गई है। हालांकि, एनआईसीएसआई के दिनांक 02.03.2021 के पत्र के अनुसार, 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद, सीईसी की 0.07 करोड़ रुपये की देयता है। तथापि, सीईसी ने न तो 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान का समायोजन किया है और न ही लेखाओं में 0.07 करोड़ रुपये के प्रावधान किए। इससे ऋण और अग्रिम में 1.81 करोड़ रुपये की अत्योक्ति, खर्चों की 1.88 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति और वर्तमान देनदारियों की 0.07 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई है। इसके बारे में पिछले लेखापरीक्षा के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.81 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि समायोजित/निपटारा किया गया है।
ख. ख.1 ख.1.1	आय और व्यय लेखा आय बीमांकिक आकलन के अनुसार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर 5.74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी। इसके	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देते समय।

	अलावा, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए पूर्वावधि प्रावधान होने के नाते 22.95 करोड़ रुपये को पूंजीगत निधि में समायोजित करने की आवश्यकता थी, जिसे पहले (2021-22 लेखाओं) पूंजी निधि में समायोजित नहीं किया गया था। इन दो प्रावधानों पर विचार करते हुए यह पाया गया कि लेखाओं की अनुसूची-1 -पूंजी/कॉर्पस फंड में 28.69 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी। तथापि, चालू वर्ष की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों का प्रावधान भी अनुसूची 15 (कर्मचारियों को भुगतान और हितलाभ) के माध्यम से आय एवं व्यय लेखा में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों के लिए 2022-23 के प्रावधान को दोगुना संगणित किया गया क्योंकि इसका लेखांकन दो बार किया गया था यथा, (i) कर्मचारी भुगतान और हितलाभ (अनुसूची 15) के भाग के रूप में और (ii) सीधे अनुसूची-1 के भाग के रूप में। इस दोहरे लेखांकन के परिणामस्वरूप लेखाओं को संतुलित करने के लिए, सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए प्रोदभूत (5,73,96,037 रुपये) को आय के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप आय में ₹ 5.74 करोड़ की वृद्धि हुई।	
ग.	सहायता अनुदान सीईसी को वर्ष 2022-23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय से 13.61 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास 80.01 करोड़ रुपये का अथ शेष था। वर्ष के दौरान उसे 0.78 करोड़ रुपये का ब्याज और अन्य आय प्राप्त हुई। 94.40 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, उसने 17.35 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जबकि 31 मार्च 2023 तक	यह एक तथ्यात्मक विवरण है जो अनुदान आदि की प्राप्ति को दर्शाता है।



	77.05 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष रहा।	
--	---------------------------------------	--

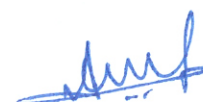
3. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो-फिजिक्स (आईयूसीए), पुणे

क.	सहायता अनुदान आईयूसीए को वर्ष के दौरान 47.09 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित यूसी के अनुसार 5.80 करोड़ रुपये (ओएच 31 के तहत 2.20 करोड़ रुपये, ओएच 36 के तहत 3.60 करोड़ रुपये) के अनुदान का अप्रयुक्त अग्रेनीत शेष था। इसके अतिरिक्त, आईयूसीए ने वर्ष के दौरान 0.59 करोड़ रुपये की आंतरिक आय अर्जित की। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधियां 53.48 करोड़ रुपये परिकलित किया जाता है, जिसमें से आईयूसीए ने 46.09 करोड़ रुपये (ओएच 31 के तहत 24.24 करोड़ रुपये, ओएच 36 के तहत 21.85 करोड़ रुपये) का उपयोग किया गया। अतः, 31.03.2023 की समाप्ति पर अप्रयुक्त अनुदान 7.39 करोड़ रुपये परिकलित होता है (राजस्व शीर्ष (ओएच 36) के तहत 2.89 करोड़ रुपये, वेतन शीर्ष (ओएच 31) के तहत 4.50 करोड़ रुपये था)। आईयूसीए को कैपिटल (ओएच 35) के तहत 15.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और उसके पास 13.27 करोड़ रुपये के अनुदान का अप्रयुक्त अग्रेनीत शेष है, जिसमें से 26.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च के रूप में दिखाई गई है और 31 मार्च 2023 तक ₹ 2.08 लाख की शेष अप्रयुक्त अनुदान सहायता। हालांकि, संस्थान ने उपयोग प्रमाण पत्र में सावधि जमा पर धारणाधिकार को, जिसे मार्जिन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में वित्तस्तारित किया गया था, 1040 लाख रुपये के खर्च के रूप में दिखाया है, जबकि व्यय वास्तव में नहीं किया गया है। इस प्रकार, अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान 1042.08	नोट कर लिया गया है। आंतरिक आय 3 जुलाई 2023 को यूजीसी को वापस कर दी गई है। नोट कर लिया गया है। तथापि, जब भी एलसी भुगतान देय हो जाता है, साख पत्र के मार्जिन के लिए सावधि जमा को बैंक द्वारा भुनाया जाएगा। उल्लिखित एलसी भुगतान भुनाए गए एफडीआर के निमित्त पूंजीगत मद के तहत व्यय के रूप में परिलक्षित होगा, और इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र में शामिल किया जाएगा।
----	--	---

	लाख रुपये (2.08 लाख रुपये + 1040 लाख रुपये) परिकलित होता है।	
--	---	--

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर

क.	तुलन पत्र	परिसंपत्ति रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां पहले ही की जा चुकी हैं। इसके अलावा, इसका लेखा-जोखा वर्तमान वित्तीय वर्ष से बही-खातों में किया जा रहा है।
क.1	पूँजीगत निधि (अनुसूची 1) - 60.19 करोड़ रुपये अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 4) - 35.14 करोड़ रुपये	
(i)	केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरण के प्रारूप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8.1 के अनुसार, कॉर्पस फंड से बनाई गई संपत्ति को पूंजी निधि में समान राशि जमा करके संस्थान की संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है। कॉर्पस फंड (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अलग) से बनाई गई ₹ 1.43 करोड़ की संपत्ति को न तो अचल संपत्तियों में जोड़ा गया और न ही इतनी ही राशि पूंजीगत निधि में जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों और पूंजीगत निधि में ₹ 1.43 करोड़ की कमी बताई गई। मूल्यहास को तदनुसार वसूलने की आवश्यकता है।	
ख.	सहायता अनुदान: पिछले वर्ष का अव्ययित सहायता अनुदान 1.05 करोड़ रुपये था। 2022-23 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान 12.57 करोड़ रुपये था। संस्थान ने 12.04 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया और 0.48 करोड़ रुपये की राशि अभ्यर्पित कर दी। वर्ष के लिए सहायता अनुदान का अंत शेष 1.11 करोड़ रुपये था।	नोट कर लिया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।



5. **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु**

क.	लेखाओं पर टिप्पणियां सं. 6 (अनुसूची 15 बी) के अनुसार, कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण और उपदान/ग्रेच्युटी का लेखांकन नकद आधार पर दिया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेखाओं पर यह टिप्पणी शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का उल्लंघन है जिसमें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान करना निर्दिष्ट किया गया है।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार एनएएसी के वार्षिक लेखाओं में सेवानिवृत्ति हितलाभों का प्रावधान नहीं किया गया है। यूजीसी ने कहा है कि सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए निधि को संबंधित वर्षों के नियमित बजट में उपलब्ध कराया जाएगा। एनएएसी की स्थापना के बाद से इसी प्रणाली का पालन किया जाता है।
ख.	सहायता अनुदान एनएएसी को वर्ष के दौरान 13.34 करोड़ रुपये (ओएच 31: 1.43 करोड़ रुपये और ओएच 36: 11.91 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। उसके पास 12.15 लाख रुपये (ओएच 31) की अन्य प्राप्ति, 0.67 लाख रुपये की ब्याज आय (ओएच 31) और (-) 29.05 करोड़ रुपये (ओएच 31: (-) 25.95 करोड़ रुपये और ओएच 36: (-) 3.10 करोड़ रुपये का अथ शेष था। (-) 15.58 करोड़ रुपये की कुल निधि में से, एनएएसी ने 17.77 करोड़ रुपये (ओएच 31: 5.99 करोड़ रुपये और ओएच 36: 11.77 करोड़ रुपये) का उपयोग किया और इस प्रकार 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 33.35 करोड़ रुपये (ओएच 31: 30.39 करोड़ रुपये और ओएच 36: 2.96 करोड़ रुपये) का घाटा दर्शाया गया। एनएएसी को डीएसटी परियोजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 21.56 लाख रुपये का सहायता अनुदान अलग से भी प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष के दौरान 11.14 लाख रुपये का व्यय किया गया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 10.42 लाख रुपये का अव्ययित शेष था।	यह हमारी बैलेंस शीट में दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप है। पैराग्राफमें दिखाए गए शेष, यानी 31.03.2023 को ₹ 10.42 लाख की पुष्टि की गई है। यह हमारी बैलेंस शीट में दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप है।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएसआर), इंदौर, मध्य प्रदेश

क.	सहायता अनुदान वर्ष 2022-23 के दौरान, संस्थान को 51.96 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, संस्थान के पास 5.02 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि थी। इस प्रकार 56.98 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, 53.08 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 3.90 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त शेष थी। वर्ष के दौरान उपार्जित और वापस किया गया ब्याज शीर्ष-35 के तहत यूसी में दिखाए गए पूंजीगत अनुदान को छोड़कर समान है, जिसमें वर्ष 2022-23 के लिए 0.01 लाख रुपये के आकस्मिक ब्याज को छोड़कर; उपार्जित ब्याज 4.81 लाख रुपये है और वापस किया गया ब्याज 4.80 लाख रुपये है। तथापि, संस्थान के यूसी में पूंजी एवं राजस्व अनुदान के विपरीत 0.36 लाख रुपये तथा 2.74 लाख रुपये की अग्रिम राशि दर्शाई गई है।	नोट कर लिया गया है
----	---	--------------------

7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

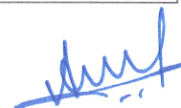
क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र परिसंपत्तियां वर्तमान परिसंपत्तियां (अनुसूची 4) – रु. 46.48 लाख	नोट कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाता-बही में शामिल किया गया।
--------------------	---	--

	कर्नाटक सरकार ने मार्च 2020 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय में निहित 15 एकड़ भूमि 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आईयूसीवाईएस की स्थापना के लिए आईयूसीवाईएस को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये के पट्टे के भुगतान की शर्त पर हस्तांतरित की। हालांकि, दिसंबर 2022 में बैंगलोर विश्वविद्यालय के स्पेशियल सिंडिकेट ने आईयूसीवाईएस को आवंटित भूमि वापस लेने और विचारशील धन की वापसी तथा स्वीकार्य ब्याज दर सहित पट्टा विलेख रद्द करने का निर्णय लिया। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान, आईयूसीवाईएस ने बैंगलोर विश्वविद्यालय को 15.00 लाख रुपये (7.50 लाख रुपये प्रति वर्ष) पट्टे के किराए का भुगतान किया। बैंगलोर विश्वविद्यालय के स्पेशियल सिंडिकेट के निर्णय और उपर्युक्त लीज डीड को वापस लेने/रद्द करने के बाद उपरोक्त 15.00 लाख रुपये 31.03.2023 की समाप्ति पर आईयूसीवाईएस द्वारा प्राप्य थे। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि आईयूसीवाईएस ने 2022-23 के वार्षिक लेखाओं में 15.00 लाख रुपये प्राप्य के रूप में नहीं दिखाए। इसके परिणामस्वरूप आय और चालू परिसंपत्तियां में 15.00 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।	
ख.	सहायता अनुदान आईयूसीवाईएस ने अनुदान सहायता के रूप में 2022-23 के दौरान 10.00 लाख रुपये प्राप्त किए। 01 अप्रैल 2022 की समाप्ति पर उसके पास 93.67 लाख रुपये का अथ शेष था। 103.67 लाख रुपये की कुल निधि में से, उसने 60.73 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर उसके पास 42.94 लाख रुपये का अव्ययित शेष था।	नोट कर लिया गया है



8. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी

क.	सहायता अनुदान केंद्र को 864.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और वर्ष 2022-23 के दौरान उसे 19.70 लाख रुपये की विविध आय प्राप्त हुई। 58.07 लाख रुपये के अथ शेष राशि को लेने के बाद, कुल उपलब्ध निधियां 941.77 लाख रुपये परिकलित होती हैं, जिसमें से केंद्र ने 864.26 लाख रुपये का उपयोग किया, जबकि 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर 77.51 लाख रुपये अप्रयुक्त थे।	कोई टिप्पणी नहीं। भारतीय स्टेट बैंक में अव्ययित शेष उपलब्ध है।
----	---	--



लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कमजोर है क्योंकि:	
•	यूजीसी के पास न तो कोई आंतरिक ऑडिट विंग है और न ही कोई एजेंसी अर्थात् सीए फर्म को आंतरिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था।	स्वीकार किया जाता है
•	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा शिक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा कभी नहीं की गई है।	स्वीकार किया जाता है
•	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली/मैन्युअल नहीं है।	स्वीकार किया जाता है

- आईयूसी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति	उत्तर
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली,	2018-19	नोट कर लिया गया है।
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई है	नोट कर लिया गया है।
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19	नोट कर लिया गया है।
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	कोई आंतरिक लेखापरीक्षा खंड नहीं है	नोट कर लिया गया है।
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई है	नोट कर लिया गया है।
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्कीडिटेशन काउंसिल (एनएसी), बेंगलुरु,	2018-19	नोट कर लिया गया है।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	2021-22	नोट कर लिया गया है।
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कभी संचालित नहीं की गई	नोट कर लिया गया है।



2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जैसा कि नीचे बताया गया है:-	
•	यूजीसी द्वारा जारी किए गए सहायता अनुदान की अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के पास निधियां संचय में रही।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया
•	बाह्य लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावकारी नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय के संबंध में 1979-80 से 2021-22 की अवधि से संबंधित 87 लेखापरीक्षा पैरा 31.3.2023 तक बकाया थे।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया

- आईयूसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	टिप्पणी	उत्तर
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	ऑडिट द्वारा देखे गए क्षेत्रों में पर्याप्त	नोट कर लिया गया है।
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	- रिक्तियों को नहीं भरा गया है क्योंकि 57 पदों की स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में 45 पद रिक्त पड़े हैं। - रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया है। - अचल संपत्ति पंजिका का अनुचित रखरखाव	नोट कर लिया गया है।
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	अग्रिम 2006-07 से बकाया हैं।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
4.	इंफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त	नोट कर लिया गया है।
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त	नोट कर लिया गया है।
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्क्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त	नोट कर लिया गया है।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम	लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त पाई	नोट कर लिया गया है।

	फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	गई क्योंकि 04/2018 से 08/2021 तक की अवधि से संबंधित 22 पैरा लंबित थे।	
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बंगलुरु	लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए क्षेत्रों में पर्याप्त	नोट कर लिया गया है।

3.	अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
•	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कंप्यूटर और इसके सहायक उपकरणों का भौतिक सत्यापन नवंबर 2021 तक किया गया है (भौतिक सत्यापन 2008 के बाद आयोजित किया गया था)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-4-अचल परिसंपत्तियों के अनुसार, 66.93 लाख रुपये की राशि मोटर वाहन के रूप में परिलक्षित की गई, लेकिन मोटर वाहन को अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
•	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) की बहियों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2022-23 तक किया गया है।	नोट कर लिया गया है।

- आईयूसी की अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	भौतिक सत्यापन की तिथि/टिप्पणी	उत्तर
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	2022-23	नोट कर लिया गया है।
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	वर्ष 2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19 (संयंत्र और मशीनरी और वाहन के सिवाय)	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	वर्ष 2022-23 के लिए के लिए संचालित नहीं की गई	नोट कर लिया गया है।
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23	नोट कर लिया गया है।
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्क्रेडिटेशन काउंसिल	वर्ष 2022-23 के लिए के लिए	भविष्य में अनुपालन के

	(एनएएसी), बेंगलुरु,	संचालित नहीं की गई	लिए नोट कर लिया गया है।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	अप्रैल 2021	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई अचल परिसंपत्ति नहीं	नोट कर लिया गया है।

4.	इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	उत्तर
•	यूजीसी (मुख्या.) के उपभोज्यों एवं लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन 2022-23 तक किया गया।	नोट कर लिया गया है।

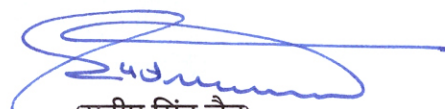
- आईयूसी की इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईयूसी का नाम	भौतिक सत्यापन की तिथि/टिप्पणी	उत्तर
1.	इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली,	2022-23	नोट कर लिया गया है।
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	वर्ष 2022-23 के लिए संचालित नहीं की गई	नोट कर लिया गया है।
3.	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	2018-19	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
4.	इंफॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, गांधीनगर	2022-23	नोट कर लिया गया है।
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	2022-23	नोट कर लिया गया है।
6.	नेशनल असेसमेंट एण्ड एक्विडेटेशन काउंसिल (एनएएसी), बेंगलुरु,	सूचना उपलब्ध नहीं है	नोट कर लिया गया है।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर	2020-21	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई इन्वेंट्री नहीं है	नोट कर लिया गया है।

5.	सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता	
•	लेखाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) और उसके आईयूसी के संबंध में 31.3.2023 तक सांविधिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।	नोट कर लिया गया है।



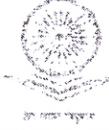
(डॉ. अमोल एम. अंधारे)
उप सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

Annexure-I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Education Govt. of India



By e-mail

Reminder-IV

No.F.2-7/2012 (DC)

Dated: - 10.10.2023

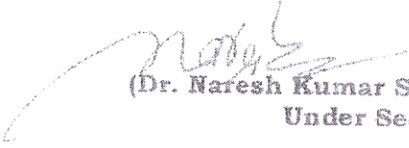
The Principal
Zakir Husain Delhi College
Jawahar Lal Nehru Marg
New Delhi - 110002

**Sub: - To refund the interest accrued on UGC grant under Capital Head
- regarding.**

Sir,

Kind attention is invited to this office letters of even number dated 31.01.2022, 20.07.2022, 02.03.2023 and 11.07.2023 (**copies enclosed**) on the subject cited above. You are once again requested to refund the unspent balance of Rs.12.50 crores alongwith interest accrued on UGC grant with a certificate from the bank in r/o interest. If the college fails to refund the said amount, further grant to the college will be stopped.

Yours faithfully,


(Dr. Naresh Kumar Sharma)
Under Secretary

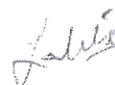
Encl:- As above.

Status of School of Education

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	Central University	Total funds released	Total funds utilized as on 30.09.2023	Unspent balance as on 30.09.2023
1	M.A.N. Urdu University	*500.00	143.87	0.00
2	University of Hyderabad	500.00	124.50	0.00
3	Indira Gandhi National Tribal University	1000.00	1000.00	0.00
4	M.G.A. Hindi VV	1000.00	1192.36	0.00
5	CU of South Bihar	500.00	526.17	0.00
6	CU of Himachal Pradesh	500.00	258.72	0.00
7	C.U. of Kashmir	500.00	500.00	0.00
8	C.U of kerala	500.00	518.35	0.00
9	CU of Odisha	500.00	302.23	0.00
10	CU of Punjab	500.00	349.71	0.00
11	Tezpur University	1000.00	952.31	0.00
12	Mizoram University	1000.00	1000.00	0.00
13	Tripura University	1000.00	380.47	0.00
14	Guru Ghasidas VV	1000.00	578.74	843.26
15	C.U. of Gujarat	500.00	265.28	460.59
16	CU of Rajasthan	1000.00	239.40	172.00
17	Manipur University	1000.00	698.96	301.04
18	BBAU*	500.00	1019.16	-490.95
	Total	13000.00	10050.23	1285.94

Five Central Universities are requested to clarification*/ refund the unspent balance to settle the account under the scheme of "School of Education".



Annexure-III



Ugc Cu Info <ugccuinfo@gmail.com>

Submission of UC under the scheme of School of Education.

Fri, Oct 6, 2023 at 4:56 PM

Ugc Cu Info <ugccuinfo@gmail.com>
To: vc@cug.ac.in, Registrar <registrar@cug.ac.in>, Finance Officer <financeofficer@cug.ac.in>, sanjayjha@cug.ac.in, "Vice Chancellor, CURAJ"
<vc@curaj.ac.in>, Registrar CURAJ <registrar@curaj.ac.in>, "Finance Officer, CURAJ" <fo@curaj.ac.in>, vc@ggu.ac.in, vcpaggu@yahoo.com,
Registrar Ggv <ggv.registrar@gmail.com>, Finance Officer GGU Bilaspur <fo@ggu.ac.in>, vcoffice@manipuruniv.ac.in, Registrar Manipur University
<registrar@manipuruniv.ac.in>, fo@manipuruniv.ac.in
Cc: "Dr. Mriganka Sekhar Sarma" <mrigankasekharsarma@gmail.com>
Bcc: lalitaarora.ugc@gmail.com

Sir/Madam,

UGC has received the Audit Memo of the CAG of India and based on their audit the University has not refunded the unspent balance under the scheme of School of Education. Therefore, to settle the audit para you are requested to remit the unspent balance alongwith interest earned upto till date on 09.10.2023.

Regards,

CU Section
UGC, New Delhi

Jalita

Submission of UC under the Capital Assets Head.

Ugc Cu Info <ugccuinfo@gmail.com>

Tue, Oct 10, 2023 at 5:03 PM

To: registrar.amu@amu.ac.in, Registrar AUS <registrar@aus.ac.in>, "Prof. S.V. Babu" <registrar@bbau.ac.in>, registrar <registrar@bhu.ac.in>, "Col. R.K. Singh, Retd." <registrar@cub.ac.in>, Registrar <registrar@cug.ac.in>, Registrar CUH <registrar@cuh.ac.in>, Registrar Central University of Himachal Pradesh <registrar@hpcu.ac.in>, registrar <registrar@cuja.ac.in>, registrar@cuk.ac.in, registrar cuj <registrar@cujammu.ac.in>, registrar <registrar@cukashmir.ac.in>, Registrar CUKerala <registrar@cukerala.ac.in>, Registrar CUO <registrar@cuo.ac.in>, registrar@cup.edu.in, Kanwal Pal Singh Mundra <registrar@cup.ac.in>, Registrar CURAJ <registrar@curaj.ac.in>, "Registrar, Central University of Tamil Nadu" <registrar@cutn.ac.in>, registrar <registrar@dhsgsu.edu.in>, Registrar Ggv <ggv.registrar@gmail.com>, "Registrar, HNBGU" <registrar.hnbgu@gmail.com>, "Registrar, JMI" <registrar@jmi.ac.in>, REGISTRAR REGISTRAR <registrar@mail.jnu.ac.in>, Registrar <registrar.mgahv@gmail.com>, Registrar Manipur University <registrar@manipuruniv.ac.in>, Registrar MANUU <registrar@manuu.edu.in>, "Prof. Lalnundanga" <registrar@mzu.edu.in>, registrar <registrar@nagalanduniversity.ac.in>, Registrar Office <regtroffice@nehu.ac.in>, "Prof. Rajneesh Bhutani" <registrar@pondiuni.edu.in>, rgureg@gmail.com, Registrar <registrar@rgu.ac.in>, registrar <registrar@cus.ac.in>, EFLU Registrar <registrar@efluniversity.ac.in>, "Registrar - IGNTU, Amarkantak" <registrar@igntu.ac.in>, registrar@tezu.ernet.in, registrar@tripurauniv.in, reg au <reg_au@allduniv.ac.in>, registrar <registrar@du.ac.in>, Registrar Visva-Bharati <registrar@visva-bharati.ac.in>, "Prof. Asutosh Pradhan" <osdadmin@mgcub.ac.in>, registrar@uohyd.ac.in, registrar@uohyd.ernet.in
Cc: "Dr. Mriganka Sekhar Sama" <mrigankasekharsama@gmail.com>
Bcc: lalitaarora.ugc@gmail.com

Sir/Madam,

UGC has received the Audit Memo of the CAG of India and based on their audit the University is requested to send the UC of Capital Assets Head for the year 2017-2018 to 2021-2022 year-wise on 12.10.2023 to settle the account.

Regards,

CU Section
UGC, New Delhi

